बागवानी मिशन
Horticulture Mission

# एकीकृत बागवानी विकास मिशन

## संचालन संबंधी दिशा-निर्देश

अप्रैल, 2014

कार्यालय प्रयोग हेतु

बागवानी मिशन
Horticulture Mission

# एकीकृत बागवानी विकास मिशन

## संचालन संबंधी दिशा-निर्देश

अप्रैल, 2014

**बागवानी प्रभाग**
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
www.midh.gov.in

# विषय सूची


| | | | |
|---|---|---|---|
| | संक्षिप्त रूप | | 4 |
| 1. | प्रस्तावना | | 6 |
| 2. | मिशन के उद्देश्य | | 7 |
| 3. | कार्यनीति | | 7 |
| 4. | मिशन की संरचना | | 7 |
| | i. | राष्ट्रीय स्तर | 7 |
| | ii. | राज्य स्तर | 7 |
| | iii. | जिला स्तर | 10 |
| | iv. | पंचायत राज संस्थाएं | 10 |
| | v. | तकनीकी सहयोग समूह | 10 |
| **5.** | **स्वीकृति एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया** | | 11 |
| | कार्यनीति और रूपरेखा | | 11 |
| | वार्षिक कार्य योजना | | 11 |
| **6.** | **धनराशि निर्गत करने की प्रक्रिया** | | 12 |
| **7.** | **मिशन में भागीदारी** | | 13 |
| | i. | अनुसंधान एंव विकास | 13 |
| | ii. | उत्पादन और उत्पादकता सुधार | 14 |
| | iii. | उत्पादन एवं पौध–सामग्री का वितरण | 14 |
| | iv. | नए बागानों की स्थापना | 16 |
| | v. | मशरूम उत्पादन | 17 |
| | vi. | पुनर्जीवीकरण/जीर्ण बागों का पुनरुद्धार/आवरण प्रबंधन | 17 |
| | vii. | जलस्रोतों का सृजन | 17 |
| | viii. | सरंक्षित खेती | 17 |
| | ix. | विशिष्ट खेती व विशिष्ट खेती विकास केंद्र के तहत विस्तार | 18 |
| | x. | समेकित पोषण व कीट नियंत्रण प्रबंधन | 18 |
| | xi. | जैविक खेती | 18 |
| | xii. | बेहतर कृषि व्यवहार | 19 |
| | xiii. | श्रेष्ठ बागवानी केंद्र | 19 |
| | xiv. | बागवानी में मानव संसाधन विकास | 19 |
| | xv. | मौन पालन के जरिये परागकणों को आधार देना | 20 |
| | xvi. | बागवानी में यांत्रिकी | 20 |
| | xvii. | प्रदर्शन के जरिये तकनीक का प्रसार | 20 |
| | xviii. | समेकित फसल प्रबंधन | 20 |
| | xix. | शीत श्रंखला हेतु आधारभूत ढांचा | 21 |
| | xx. | बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण | 21 |
| | xxi. | प्रसंस्करण और परिमार्जन | 22 |
| | xxii. | नारियल बीमा योजना | 22 |
| **8.** | **मिशन प्रबंधन** | | 23 |
| | i. | राज्यों के बागवानी मिशनों/क्रियान्वयन एजेंसियों को सहायता | 23 |
| | ii. | संस्थानों का सुदृढ़ीकरण | 23 |
| | iii. | बागवानी संबंधी आधारभूत आंकड़े | 23 |
| | iv. | ढांचागत विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को सहायता | 23 |
| | v. | अंतरर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग | 23 |
| | vi. | मूल्यांकन व अन्य अध्ययन | 23 |
| **9.** | **मौजूदा राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका** | | 23 |
| | 9.1. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), गुडग़ांव | 23 |
| | 9.2. | नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि | 24 |
| | 9.3. | लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), नई दिल्ली | 24 |
| | 9.4. | काजू और कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कोच्चि 24 | |

9.5. सुपारी व मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी), कालीकट 24
9.6. कृषि और बागवानी में प्लास्टिकल्चर के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति (एनसीवीएएच), नई दिल्ली 24
9.7. राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थानक, नासिक 24
9.8. राष्ट्रीय मधुमक्खी विकास बोर्ड (एनबीबी) 24
9.9. राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली 24
9.10. राष्ट्रीय नीबू अनुसंधान केंद्र, नागपुर 24
9.11. भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली 24
9.12. हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एनएचबी) 25
9.13. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद 25
9.14. फ्रैश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एफएचईएल), नई दिल्ली 25
9.15. कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), नई दिल्ली 25
9.16. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआइ), नई दिल्ली 25
9.17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई), नई दिल्ली 25
9.18. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), नई दिल्ली 25
9.19. केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नगालैंड 25
9.20. राष्ट्रीय शीतगृह भंडारण विकास केंद्र (एनसीसीडी) 25
9.21. राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), सोनीपत हरियाणा 25

**अनुलग्नक-I**
समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत धनराशि, कार्यक्रमों और पदाधिकारियों के प्रभावी हस्तांतरण का मानचित्रण 26

**अनुलग्नक-II**
एमआईडीएच के अंतर्गत तकनीकी सहायता समूह की निर्देशात्मक संचरना 29

**अनुलग्नक-III**
एमआईडीएच योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन
*(एनएचएम, एचएमएनईएच, एनबीएम एवं सीआईएच की उप योजनाएं)* 30

**अनुलग्नक-IV (ए)**
एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम/एचएमएनईएच उप योजनाओं के लिए जमा किए जाने वाली कार्ययोजना का प्रारूप 32

प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत कार्ययोजना का प्रारूप 34

**अनुलग्नक-IV (बी)**
एनबीएम योजना के लिए जमा किए जाने हेतु वार्षिक कार्ययोजना का प्रारूप 36

**अनुलग्नक-V**
एनएचएम और एचएमएनईएच उप योजना के लिए 12वीं योजना के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन
(एमआईडीएच) के तहत लागत मानदण्ड एवं सहायता का प्रतिमान 38

*परिशिष्ट-I:*
चुनिंदा फल फसलों के क्षेत्र विस्तार की निर्देशात्मक इकाई लागत (रुपये प्रति हेक्टेयर) 51

*परिशिष्ट-II:*
कोल्ड चेन में प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन, सी ए एवं आधुनिकीकरण के लिए संलग्नक 54

**अनुलग्नक-VI**
एमआईडीएच के तहत 12वीं योजना के दौरान बांस से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सहायता के लागत मानदण्ड एवं प्रतिमान 55

**अनुलग्नक-VII**
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 12वीं योजना के दौरान एमआईडीएच के
अंतर्गत लागत मानदण्ड एवं सहायता प्रतिमान 58

**अनुलग्नक-VIII**
एमआईडीएच के अंतर्गत 12वीं योजना के दौरान नारियल विकास बोर्ड संबंधित कार्यक्रमों के लिए
लागत मानदण्ड एवं सहायता प्रतिमान 61

# संक्षिप्त रूप

| | |
|---|---|
| एसी | कृषि एवं सहकारिता |
| एएपी | वार्षिक कार्ययोजना |
| एईजेड | कृषि-निर्यात क्षेत्र |
| एपीसी | कृषि उत्पादन आयुक्त |
| एपीईडीए | कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण |
| एपीएमसी | कृषि उत्पाद विपणन समिति |
| एवाईयूएसएच | आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी |
| बीडीए | बांस विकास एजेंसी |
| बीटीएसजी | बांस तकनीकी सहयोग समूह |
| सीए | नियंत्रित वातावरण |
| सीडीबी | नारियल विकास बोर्ड |
| सीईओ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| सीआईएच | केंद्रीय बागवानी संस्थान |
| सीएसआईआर | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास परिषद |
| डीएसी | कृषि एवं सहकारिता विभाग |
| डीएएसडी | सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय |
| डीसीसीडी | काजू एवं कहफी पाउडर विकास निदेशालय |
| डीएफयू | रोग पूर्वानुमान इकाई |
| डीएचएमडी | जिला बागवानी मिशन प्रलेख |
| डीएमसी | जिला मिशन कमेटी |
| डीएमआई | विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय |
| डीओएनईआर | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
| डीपीआर | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
| ईसी | कार्यकारी समिति |
| ईएमसी | प्राधिकृत निगरानी समिति |
| एफएओ | खाद्य एवं कृषि संगठन |
| एफडीए | वन्य विकास एजेंसी |
| एफएचईएल | फ्रैश एवं हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
| एफआई | वित्तीय संस्थान |
| एफआईसीसीआई | भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ |
| एफआईजी | कृषक सहायता समूह |
| एफएलडी | अग्रिम प्रदर्शन |
| एफपीओ | कृषक उत्पादक संगठन |
| जीसी | समान्य परिषद |
| जीएफआर | सामान्य वित्तीय नियमावली |
| जीओआई | भारत सरकार |
| जीएस | ग्राम सभा |
| एचआईएल | हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड |
| एचएमएनईएच | पूर्वोत्तर एवं हिमालयीय राज्य बागवानी मिशन |
| एचआरडी | मानव संसाधन विकास |
| आईएएसआरआई | भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान |
| आईसीएआर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| आईसीएफआरई | भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद |
| आईसीटी | सूचना संचार तकनीक |
| आईएनएम | समेकित पोशाहार प्रबंधन |
| आईपीएम | समेकित कीट प्रबंधन |

| | |
|---|---|
| केवीके | कृषि विज्ञान केंद्र |
| एमए | बाजार के अवयव |
| एमएएनएजीई | राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान |
| एमएफपीआई | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| एमआईडीएच | समेकित बागवानी विकास मिशन |
| एमएनआरईजीएस | महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
| एनएबीएआरडी | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक |
| एनबीबी | राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड |
| एनबीएम | राष्ट्रीय बांस मिषन |
| एनसीडीसी | राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम |
| एनसीपीएएच | कृषि व बागवानी में प्लास्टीकल्चर के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति |
| एनएचबी | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड |
| एनएचएम | राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
| एनएचआरडीएफ | राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन |
| एनएलए | राष्ट्रीय एजेंसियां |
| एनएमपीबी | राष्ट्रीय मेडिसनल प्लांट बोर्ड |
| एनएमएसए | राष्ट्रीय संरक्षित कृषि मिशन |
| एनआरसीसी | राष्ट्रीय नींबू प्रजाति अनुसंधान केंद्र |
| एनएससी | राष्ट्रीय बीज निगम |
| पीएफडीसी | सटीक कृषि विकास केंद्र |
| पीएचएम | फसलोपरांत प्रबंधन |
| पीआरआई | पंचायती राज संस्थाएं |
| पीएसयू | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम |
| आर - डी | अनुसंधान एचं विकास |
| आरसीसी | रेनफोर्स्ड सीमेंट कहन्क्रीट |
| आरकेवीवाई | राश्ट्रीय कृषि विकास योजना |
| एसएयू | राज्य कृषि विश्वविद्यालय |
| एसबीडीए | राज्य बांस विकास एजेंसी |
| एसबीएमडी | राज्य बांस विकास प्रलेख |
| एससी | उप-समिति |
| एसएफएसी | लघु कृषक कृषि व्यवसाय महासंघ |
| एसएफसीआई | भारतीय राज्य फार्म निगम |
| एसएचएम | राज्य बागवानी मिशन |
| एसएचएमडी | राज्य बागवानी मिशन प्रलेख |
| एसएलईसी | राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति |
| टीसी | टिश्यु कल्चर |
| टीएसजी | तकनीकी सहायता समूह |
| टीएसपी | आदिवासी उप-योजना |
| यूजीसी | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग |
| यूटीएफ | एकल न्यास कोष |

# संचालन संबंधी दिशा निर्देश

## बारहवीं योजना के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन

### 1. प्रस्तावना

1.1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों के चौमुखी विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के कुल बजट का 85 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार देती है जबकि शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकारें खुद वहन करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में शत–प्रतिशत बजट केंद्र सरकार ही वहन करती है। इसी तरह बांस विकास सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड और राष्ट्रीय एजेंसियों (एनएलए) के कार्यक्रमों के लिए भी शत–प्रतिशत बजटीय योगदान भारत सरकार का ही होगा। इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा–निर्देशों का वर्णन नीचे दिया गया है।

1.2. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत ये उप–योजनाएं और कार्यक्षेत्र होंगे:

| संख्या | उप–योजना | लक्षित समूह/कार्य क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय बागवानी मिशन | पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के अलावा सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश |
| 2. | पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन | सभी पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्र |
| 3. | राष्ट्रीय बांस मिशन | सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश |
| 4. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड | व्यावसायिक बागवानी पर जोर देने वाले सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश |
| 5. | नारियल विकास बोर्ड | नारियल उत्पादक सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश |
| 6. | केंद्रीय बागवानी संस्थान | मानव संसाधन व क्षमता विकास पर जोर देने वाले पूर्वोत्तर के राज्य |

1.3. एकीकृत बागवानी विकास मिशन हर तरह की बागवानी फसलों और संरक्षित खेती हेतु सूक्ष्म सिंचाई के साधनों के विकास की दिशा में राष्ट्रीय संरक्षित खेती मिशन (एनएमएसए) के साथ मिलकर कार्य करेगा।

1.4. एकीकृत बागवानी विकास मिशन केसर उत्पादन व अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों/राज्यों के बागवानी मिशनों को तकनीकी सलाह व प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराएगा। इन गतिविधियों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)/एनएमएसए से वित्त पोषित शहरी उपभोक्ताओं हेतु सब्जी उत्पादन की पहल (वीआईयूसी) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

### 2. मिशन के उद्देश्य

2.1. मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं:

ए) बागवानी क्षेत्र के चौमुखी विकास को बढ़ावा देना जिसमें बांस और नारियल भी शामिल है। इस क्रम में प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग–अलग कार्यनीति अपनाना। इसमें शामिल है– अनुसंधान, तकनीक को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि।

बी) कृषकों को एफआईजी, एफपीओ व एफपीसी जैसे कृषक समूहों से जुडने् के लिए प्रोत्साहित करना ताकि समानता और व्यापकता आधारित आर्थिकी का निर्माण किया जा सके।

सी) बागवानी उत्पादन की उन्नति, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा।

डी) गुणवत्ता, पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रभावी उपयोग के जरिये उत्पादकता सुधार

ई) बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं में मेधा विकास को प्रोत्साहन देना और रोजगार उत्पन्न करना तथा खासकर फसलोपरांत शीत श्रंखला के क्षेत्र में उचित प्रबंधन।

## 3. कार्यनीति

3.1. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन निम्नलिखित कार्यनीतियों को अपनाएगाः

ए) उत्पादन–पूर्व, उत्पादन के दौरान और उत्पादन के उपरांत ठोस प्रबंधन के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक चौतरफा नजरिया अपनाना। साथ ही प्रसंस्करण और विपणन के जरिये यह सुनिश्चित करना कि उत्पादकों को फसल का सही लाभ मिल सके।

बी) खेती, उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन और शीत श्रृंखला पर विशेष ध्यान देते हुए जल्द खराब होने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण इत्यादि के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी तकनीक को बढ़ावा देना।

सी) गुणवत्ता के जरिये उत्पादन सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय करनाः

i) पारंपरिक खेती की बजाय बागीचों को बढावा देना। इस क्रम में फलों के बागानों, अंगूर के बागों, फूलों, सब्जी के बगीचों और बांस की खेती पर जोर देना।

ii) सरंक्षित खेती और आधुनिक कृषि सहित उन्नत बागवानी के लिए किसानों तक सही तकनीक का विस्तार करना।

iii) खासकर उन राज्यों में जहां बागवानी का क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम है, वहां एकड़ के हिसाब से बांस और नारियल सहित फलोद्यान और बागीचा खेती का विस्तार करना।

डी) फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन की परिस्थितियों में सुधार लाना।

ई) परस्पर समन्वय और सहभागिता को अपनाना, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना व इसे लोगों तक पहुंचाना तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्यीय व उपराज्यीय स्तर पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की प्रसंस्करण और विपणन इकाईयों को बढ़ावा देना।

एफ) उपज का उचित लाभ हासिल करने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना तथा विपणन संघों व वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करना।

जी) कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आटीआई व पॉलिटेक्नीक इत्यादि संस्थानों के पाठ्यक्रम सहित सभी स्तर पर क्षमता विकास और मानव संसाधन को बढ़ावा देना।

## 4. मिशन की ढांचागत संरचना

### (i) राष्ट्र स्तरीय

**ए) राष्ट्रीय महापरिषद**

4.1. राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मिशन की एक सामान्य परिषद (जीसी) होगी। परिषद का ढांचा इस प्रकार होगाः

| कृषि मंत्री | अध्यक्ष |
|---|---|
| वाणिज्य, स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायत राज, विज्ञान और तकनीक, ग्रामीण विकास, पर्यावरण व वन, कपड़ा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विभागों के मंत्री | सदस्य |
| सदस्य (कृषि) योजना आयोग | सदस्य |
| मंत्रालय/कृषि और सहकारिता, वाणिज्य, आयुष, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण व वन, कपड़ा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, जैव तकनीक तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विभागों के सचिव | सदस्य |
| अध्यक्ष, नाबार्ड | सदस्य |
| निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | सदस्य |
| अपर सचिव (कृषि आई/सी बागवानी, कृषि व सहकारिता विभाग) | सदस्य |
| महानिदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड | सदस्य |
| अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड | सदस्य |
| बागवानी आयुक्त | सदस्य |
| उप महानिदेशक (आई/सी बांस) | सदस्य |
| सलाहकार (बागवानी) | सदस्य |
| सह सचिव (आई/सी राष्ट्रीय सरंक्षित खेती मिशन) | सदस्य |

4.2. महापरिषद की हैसियत एक प्रतिपादक निकाय की होगी जो मिशन के लिए दिशा और निर्देशन का कार्य करेगी। साथ ही, मिशन की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी व समीक्षा करेगी। सामान्य महापरिषद को सीसीईए द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों, लागत के मानकों और सहायता के तौर–तरीकों को प्रभावित किए बिना संचालन के दिशा–निर्देशों का निर्धारण और संशोधन का अधिकार होगा। सामान्य महापरिषद की साल भर में कम से कम दो बैठकें होंगी। इसके गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की अवधि से शुरू होकर तीन साल तक का होगा।

**बी) कार्यकारी समितिः**

4.3. कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी समिति मिशन के समस्त क्रियाकलापों की देख–रेख करेगी। साथ ही, राज्यों के बागवानी मिशनों और राष्ट्रीय एजेंसियों की कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने का भी काम करेगी। कार्यकारी समिति का ढांचा इस प्रकार होगाः

| सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) | अध्यक्ष |
|---|---|
| सचिव– मंत्रालय/वाणिज्य, आयुष, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, जैव तकनीक और पर्यावरण व वन विभाग,<br>प्रमुख सलाहकार (कृषि), योजना आयोग | सदस्य |
| संस्थानः महानिदेशक– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, महानिदेशक– भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद, महानिदेशक–वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन, अध्यक्ष– नाबार्ड, अपर सचिव (बागवानी , कृषि एवं सहकारिता विभाग); अपर सचिव एवं खाद्य एवं कृषि, कृषि एवं सहकारिता विभाग; संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), संयुक्त सचिव (आई/सी राष्ट्रीय सरंक्षित खेती मिशन), बागवानी आयुक्त; सलाहकार (बागवानी); उपमहानिदेशक (आई/सी बांस), अध्यक्ष कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण; प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड; प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग; महानिदेशक, लघु कृषक कृषि व्यापार मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल मेडिसनल प्लांट बोर्ड; अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड; कृषि विपणन सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग; सह सचिव, कृषि एवं बागवानी प्लास्टीकल्चर क्रियान्वयन समिति (एनसीपीएएच ); मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एनसीसीडी) | सदस्य |
| तीन विशेषज्ञ (उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन व विपणन) | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग एवं मिशन निदेशक | सदस्य सचिव |

4.4. कार्यकारी समिति को राज्यों व अवयवों के बीच संसाधनों के पुर्नआवंटन तथा सब्सिडी के तयशुदा मानकों के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। साथ ही, वह आपात अथवा अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप की विशेष मंजूरी देने को भी अधिकृत है। समिति अधिकार संपन्न निगरानी समिति (ईएमसी)/उप समिति (एससी) का भी गठन कर सकती है। साथ ही ईएमसी/एसी/मिशन निदेशक के अलावा राज्य सरकारों/राज्यों के बागवानी मिशनों/राज्य बांस विकास एजेंसियों (एसबीडीए) को भी यह अधिकार सौंप सकती है कि वे लागत के निर्धारित मानकों व सहायता के स्वरूप के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी दे सकें। विशेषज्ञों की कार्यावधि उनके नामांकन की तिथि से तीन साल तक होगी।

4.5. कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय का बागवानी प्रभाग सामान्य परिषद/कार्यकारी समिति/प्राधिकृत निगरानी समिति को आवश्यक सहायता मुहैया कराएगा और एनएचएम, एचएमएनईएच, एनबीएम और सीआईएच कार्यक्रमों का सारा प्रशासनिक कामकाज देखेगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के प्रबंध निदेशक एचएनबी के कार्यक्रमों का जबकि नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के अध्यक्ष सीडीबी के कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे। इन कार्यक्रमों के सामान्य दिशा–निर्देश के लिए बोर्डों और मिशनों का मौजूदा ढांचा बनाए रखा जाएगा। ईसी/ईएमसी विभिन्न एजेसिंयों के बीच सुचारु कार्य व्यवहार सुनिश्चित करेंगी और आवश्यकतानुसार बैठकें करेंगी।

## (ii) राज्य स्तरीय

### राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति

4.6. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) कृषि उत्पादन आयुक्त अथवा प्रधान सचिव बागवानी/कृषि/पर्यावरण व वन (कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में) की अध्यक्षता में कार्य करेगी। इसमें वन विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर ), उत्पादक संघों/एफपीओ इत्यादि सहित राज्य सरकारों के अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये अपने–अपने राज्यों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखेंगे। केंद्र सरकार एसएलईसी में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करेगी। एनएचम, एचएमएनईएच और एनबीएम के राज्य मिशन निदेशक संबंधित एसएलईसी के सदस्य सचिव होंगे। संचालन के स्तर पर राज्य सरकारें राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) की स्थापना के लिए स्वतंत्र होंगी और राज्य और जिला स्तर पर मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए) को सोसायटी पंजीकरण कानून के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित कर सकेंगी। राज्य की मौजूदा पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल किया जाएगा।

4.7. राज्य और उप–राज्य स्तरीय ढांचागत संरचना राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। कृषक समूहों के निर्माण/किसानों के सहकारी संगठनों तथा वित्तीय संस्थाओं व विपणन संघों से उनके संबंधों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4.8. राज्य स्तरीय एजेंसियों के कार्य इस प्रकार होंगे:

ए) मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप रणनीति/भावी योजनाएं तथा राज्य स्तरीय वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और तकनीकी सहयोग समूहों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और आईसीएआर जैसे संस्थानों के साथ गहन समन्वय स्थापित करना। साथ ही, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखना।

बी) परियोजना आधारित प्रस्ताव जिनके लिए ईसी/ईएमसी का अनुमोदन अनिवार्य है, उन्हें आगे बढ़ाना और खुद की अधिकार शक्ति के दायरे में आने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देना।

सी) आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करना तथा खास क्षेत्रों/बस्तियों (जिला, उप–जिला अथवा कई जिलों ) का इस नजरिये से व्यावहारिक अध्ययन करना कि वहां बागवानी/बांस उत्पादन का स्तर क्या है, उत्पादन क्षमता और मांग कितनी है तथा उस अनुरूप किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। इसी तरह का अध्ययन कार्यक्रम के अन्य अवयवों के मामले में भी किया जाएगा।

डी) मिशन के क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, राज्य सरकारों और अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त करना, खातों को दुरुस्त रखना और संबंधित एजेंसियों के समक्ष उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

ई) समानता आधारित आर्थिकी को हासिल करने के लिए एफपीओ/एफपीसी के गठन की प्रक्रिया की समीक्षा करना और वित्तीय संस्थाओं के जरिये किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माहौल तैयार करना।

एफ) कार्यक्रम लागू करने वाली संस्थाओं को राशि जारी करना तथा कार्यक्रमों का निरीक्षण, निगरानी और क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

जी) राज्यों में किसानों, समुदायों, उत्पादक संगठनों, स्वयंसेवी समूहों, राजकीय संस्थानों और अन्य स्वातंत्र ईकाइयों के माध्यम से कार्यक्रम संबंधी क्रिया–कलापों की देखभाल करना और मदद पहुंचाना।

एच) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले अन्य संस्थानों की सहायता से राज्य स्तर पर सभी आकांक्षी समूहों/संगठनों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

आई) कृषि एवं सहकारिता विभाग को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। साथ ही, हर पांचवे महीने इसे मिशन की वेबसाइट (www.nhm.nic.in), (www.tmne.gov.in), (www.nbm.nic.in) पर अपलोड करना। यह कार्य जिला और राज्य दोनों स्तर पर किया जाएगा।

जे) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से युक्त सूचना प्रबंधन तकनीक (आईटीसी) को हॉर्नेट के जरिये जमीनी स्तर तक लागू करना। इसके लिए प्रत्येक राज्य अपनी अलग वेबसाइट तैयार करेगा।

## (iii) जिला स्तरीय

4.9. एचएमएनईएच जिला स्तर पर जिला मिशन कमेटी (डीएमसी) परियोजना के प्रतिपादन, क्रियान्वयन और निगरानी के मद्देनजर मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगी। डीएमसी की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के सीईओ, (डीआरडीए) वन विकास एजेंसी के सीईओ (एफडीए)/जिला विकास अधिकारी कर सकते हैं। इसमें सदस्यों के रूप में संबंधित विभागों, उत्पादक एसोसिएशन, विपणन बोर्ड, स्थानीय बैंक, स्वयंसेवी समूह और अन्य गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पूर्वोत्तर और हिमालयीय राज्यों (एचएमएनईएच) के मामले में उपायुक्त/जिलाधीश डीएमसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। जिला बागवानी अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी डीएमसी के सदस्य सचिव होंगे।

## (iv) पंचायत राज संस्थाएं

4.10. जिला योजना समिति और पंचायत राज संस्थाएं (पीआरआई) अपने मौजूदा ढांचे और विशेषज्ञता के साथ कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से लागू करने की प्रक्रिया में शामिल होंगी। समेकित बागवानी विकास कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में निम्नलिखित संदर्भ में उनकी अहम भूमिका होगी :

ए) जिला पंचायत के परामर्श से फसलों/मसालों और लाभान्वितों की पहचान।

बी) पंचायतों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रशिक्षण, विस्तार और जागरूकता।

सी) एमआईडीएच के क्रियान्वयन की दिशा में पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित कराना और संबंधित अधिकारियों को इसके निष्कर्षों की जानकारी देना।

4.11. राशि निर्गत करने, कार्य और कार्यबल के लिए अधिकृत करने संबंधी प्रक्रिया **अनुलग्नक–I** में दी गई है।

## (v) तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)

4.12. मिशन के पास तकनीकी और विशेषज्ञता प्राप्त लोगों का एक मजबूत तंत्र होगा जो कि मिशन के प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होगी। जैसा कि मौजूदा प्रक्रिया है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन को एनएचबी व एचएमएनईएच और वीआईयूसी को एसएफएसी सहयोग करेंगे। एनएचएम और एचएमएनईएच दोनों को फसलोपरांत प्रबंधन और शीतगृह भंडारण की दिशा में एनसीसीडी तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। सेवा प्रदाता भी ईसी द्वारा इस मामले में स्वीकृत शर्तों के अनुरूप तकनीकी सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। बागवानी आयुक्त/डीडीजी (आई/सी) सभी प्रकार के कार्यों जैसे– पौध सामग्री, क्षेत्र विस्तार, पुनर्जीवीकरण, आवरण प्रबंधन, आईएनएम/आईपीएम और जैविक खेती इत्यादि से संबंधित मामलों में तकनीकी सहायता समूहों को परामर्श देंगे। तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी सहायता समूह अलग–अलग स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। इन कर्मियों का मानदेय उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर तय होगा। कृषि और कृषि–वानिकी का ज्ञान रखने वाले युवा स्नातक, कम्प्यूटर क्षेत्र के पेशेवर, एमबीए स्नातक, और अन्य युवा पेशेवर भी तकनीकी सहायता समूहों का अंग हो सकते हैं।

4.13. तकनीकी सहायता समूहों की भूमिका और कार्य इस प्रकार होंगे:

ए) नियमित रूप से राज्यों का दौरा करना और संगठनात्मक व तकनीकी मामलों में मार्गदर्शन करना

बी) अलग–अलग किस्म की बागवानी/बांस की खेती तथा इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे– उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि के मद्देनजर क्षेत्रीय कार्यशालाओं के संचालन के लिए सामग्री तैयार करना। एसएचएम/एसबीडीए के परामर्श से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर क्षमता विकास, प्रदर्शनी, कार्यशालाएं/सेमिनार इत्यादि का वार्षिक कलैंडर तैयार करना।

सी) सभी क्षेत्रों में बागवानी/बांस उत्पादन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराना।

डी) सफलता की कहानियों का अभिलेखीकरण और प्रचार–प्रसार।

ई) क्षमता विकास कार्यक्रमों में राज्यों की सहायता करना।

एफ) मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

4.14. परियोजना के प्रतिपादन, स्वीकृति और निगरानी के लिए राज्यों के मिशन राष्ट्रीय तर्ज पर राज्य स्तरीय तकनीकी सहायता समूहों की भी स्थापना कर सकते हैं। राज्य मिशनों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे राज्य के साथ–साथ जिला स्तर पर भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाहर से परामर्शदाताओं की सेवाएं ले सकेंगे। एनबीएम के लिए क्षेत्र के हिसाब

से बांस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी) गठित किए जाएंगे। बीटीएसजी अपनी वार्षिक कार्य योजना एनबीएम प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेंगे। बीटीएसजी की कार्यप्रणाली टीएसजी की ही तरह होगी। बीटीएसजी विभिन्न क्षेत्रों में कायम राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ काम करेंगे और ठेके पर पेशेवरों की भर्ती करने के लिए नियमों को लचीला कर सकेंगे।

4.15. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर टीएसजी की सांकेतिक सरंचना **अनुलग्नक–II** में दी गई है।

4.16. ईसी, ईएमसी, मिशन निदेशक और एसएलईसी द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अधिकार शक्ति के हस्तांतरण **अनुलग्नक–III** में दी गई है।

# 5. स्वीकृति प्रक्रिया और क्रियान्वयन

## कार्यनीति और रूपरेखा

5.1. राज्य अपने यहां बांस उत्पादन सहित बागवानी फसलों के चहुंमुखी विकास के लिए मौजूदा स्वरूप/कार्यनीति और रूपरेखा के अनुसार योजना तैयार करेंगे। इस कड़ी में 12वीं योजनावधि के अनुरूप लक्ष्य तय किए जाएंगे। यह सारी प्रक्रिया वार्षिक कार्ययोजना (एएपी) की तैयारी को आधार बनाकर तय की जाएगी। राज्यों के द्वारा तैयार कार्यनीति और रूपरेखा के अंतर्गत भौगोलिक और जलवायु संबंधी सूचनाओं, बागवानी/बांस विकास की संभावनाओं, भूमि की उपलब्धता और एसडब्ल्युओसी विश्लेषण का समावेश होगा। साथ ही, राज्य के प्रत्येक जिले में लक्ष्य प्राप्ति को ध्यान में रखकर विकास और कार्ययोजना की रणनीति तैयार की जाएगी। दस्तावेज में तुलनात्मक लाभ व राज्य में विकास की स्वाभाविक संभावना को शामिल करते हुए फसलों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उत्पादन का सामूहिक नजरिया हो और इसे फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण विपणन और निर्यात संबंधी उपलब्ध या तैयार किए जाने वाली ढांचागत संरचना से जोड़कर देखा जाए। क्लस्टर के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां प्राकृतिक संसाधनों का एक आधार हो और जहां नहर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इत्यादि के अंतर्गत जलस्रोतों का विकास किया जा सके। ऐसी हर उस फसल के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

## वर्षिक कार्ययोजना

5.2. इस संदर्भ में, वार्षिक कार्ययोजना को तैयार करते समय पिछली भागीदारी के परिणामों पर आधारित डाटा/लेखन की मदद ली जानी चाहिए। इसमें खासकर इन बातों का समावेश हो– क्षेत्र विस्तार का ब्योरा (विविधता/प्रारंभ की जाने वाली किस्में, उत्पादकता में प्राप्त वृद्धि तथा तैयार किए गए क्लस्टर), राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जल संसाधन विकास (तैयार की गई सिंचाई की संभावित मात्रा, चाहे यह सूक्ष्म सिंचाई, रखरखाव इत्यादि से जुड़ी हो), आईएनएम/आईपीएम (निर्मित आवश्यक ढांचागत संरचना और यह कि इसका किसानों के फायदे के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है) और जैविक कृषि। क्षेत्र विस्तार का निर्धारण पौध सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए और बीज/पौध सामग्री उप–योजना को वार्षिक कार्ययोजना के एक अंग के रूप में अलग से तैयार किया जाएगा।

5.3 कृषि मंत्रालय प्रत्येक राज्य/एनएलए को साल के संभावित परिव्यय की सूचना देगा। इसमें क्षेत्र–वार/जिला–वार आवंटन को दर्शाया जाएगा। जिला स्तर पर कार्यरत एजेंसियां अपनी प्राथमिकताओं व संभावनाओं को ध्यान में रखकर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगी और आवंटित राशि के साथ इसे राज्य बागवानी/बांस मिशन के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। राज्य दृष्टिकोण/कार्यनीति/वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए टीएसजी/परामर्शदातृ सेवाओं की सहायता ले सकते हैं। इसके बाद राज्य बागवानी/बांस मिशन समूचे राज्य के लिए एक सुदृढ़ प्रस्ताव तैयार करेगा। संबंधित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) इस प्रस्ताव की गहन जांच करेगी। तत्पश्चात इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में तैयार इस प्रस्ताव की प्रति राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के विचारार्थ कृषि मंत्रालय को भेजी जाएगी। बागवानी/बांस विकास से संबंधित तमाम विषय जिसमें उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन शामिल है, एसएचएम/एसबीडीए के दायरे में आएंगे। डीएसी को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना का फॉर्मेट **अनुलग्नक–IV (ए) (बी)** में दिया गया है।

5.4. वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप देते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभान्वितों के लिए रेखांकित विशेष लक्ष्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि एमआईडीएच योजना में प्रावधान है, बागवानी उत्पादों के फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के वास्ते ढांचागत सरंचना तैयार करने के लिए अधिकतम संभावित सब्सिडी दी जाती है। इनमें पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयीय राज्य, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अंडमान–निकोबार और लक्ष्यद्वीप में लाभान्वितों द्वारा विस्तारित क्षेत्र समाहित हैं।

## 6. राशि निर्गत करने की प्रक्रिया

6.1. राशि जारी करना और क्रियान्वयन एजेंसियों/एसएचएम/एसबीडीए/एनएलए/पीआरआई इत्यादि द्वारा इसका इस्तेमाल भारत सरकार सुनिश्चित करेगी। राशि का उपयोग मौजूदा वित्तीय मानकों के अनुसार ही हो सकेगा। कोष राज्य सरकारों को जारी किया जाएगा और राज्य सरकारें इसे एसएचएम/राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी करेंगी। क्रियान्वयन एजेंसियों के जरिए राशि डीएमसी/जिला क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। जहां तक संभव हो सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को ऑन–लाइन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे आगे लाभार्थियों को भुगतान का प्रबंध इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर के जरिये होगा। जहां तक संभव हो, राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। एमआईडीएच के तहत राशि निर्गत किए जाने की प्रणाली को हम नीचे दिए गए चार्ट से समझ सकते हैं:

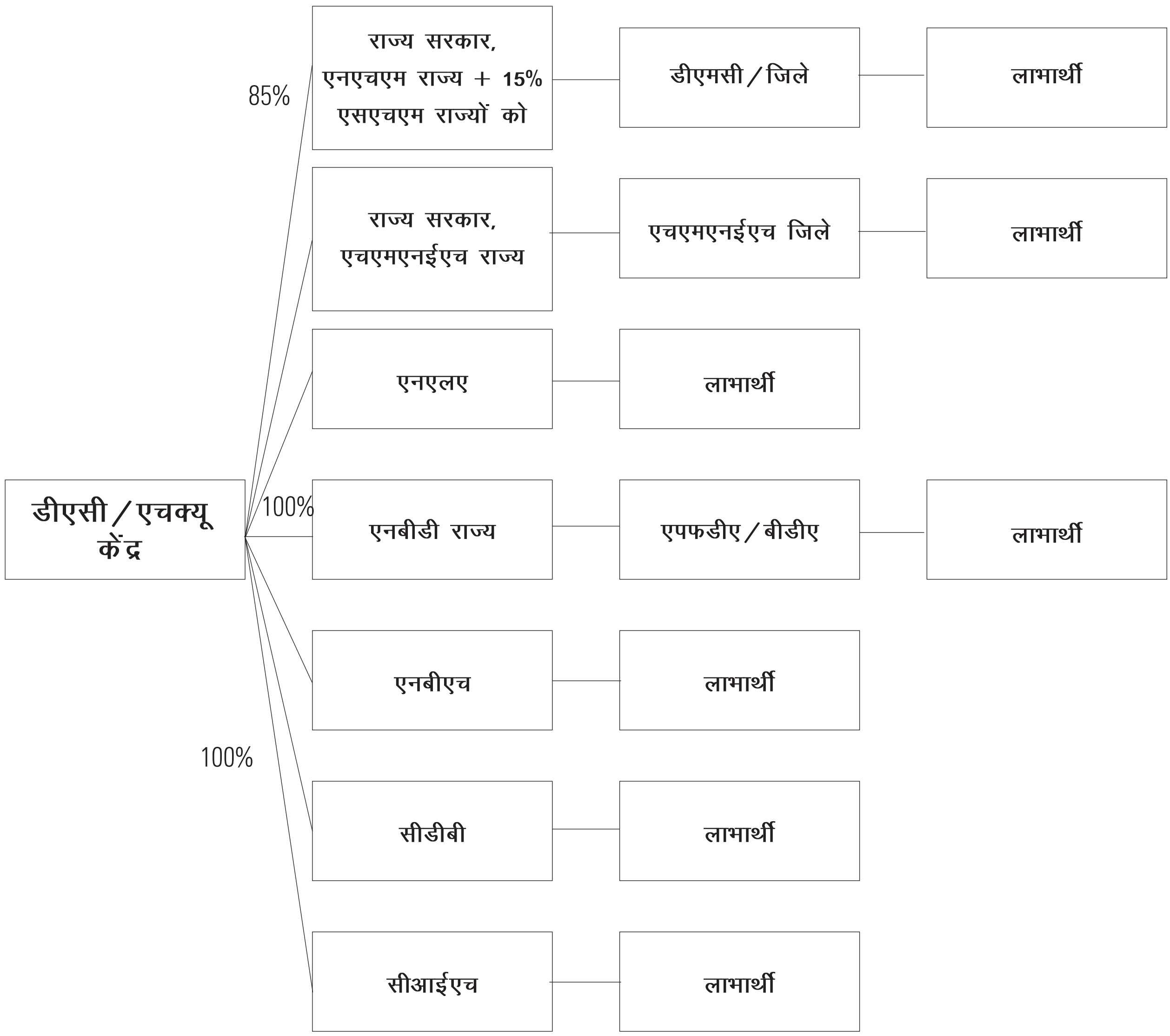


6.2. क्रियान्वयन एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भावना के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी राशि और इसमें राज्य सरकारों के हिस्से के मुताबिक ही गतिविधियों का संचालन करें। निर्गत राशि से अधिक खर्च की परिस्थिति में किसी लंबित व्ययभार पर डीएसी द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

## 7. मिशन में भागीदारी

7.1. मिशन का हर भाग, मांग और आवश्यकता पर आधारित होगा। इसमें एक बड़े माध्यम के रूप में तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। खासकर आयोजन और निगरानी जैसे उद्देश्यों के लिए सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटी), सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा फसलोपरांत प्रबंधन, विपणन और उत्पादन संबंधी पूर्वानुमान इत्यादि हेतु ढांचागत सुविधाओं के निर्माण हेतु स्थलों की पहचान में भी ये तकनीकें उपयोगी होंगी।

7.2. वांछित लक्ष्यप्राप्ति की दिशा में ऐसे माध्यम अपनाए जाएंगे जो भिन्न और क्षेत्र के हिसाब से परिवर्तनशील हों। इस क्रम में आधुनिक और हाईटेक साधनों को अपनाते हुए क्लस्टरों में विकसित की जाने वाली संभावित फसलों पर जोर रहेगा और बैकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज को सुनिश्चित किया जा सकेगा। संशोधित लागत–नियम और सहायता के प्रारूप को उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा जैसा कि इसे **अनुलग्नक–V** से **VIII** में प्रस्तुत किया गया है। एनएचबी, सीडीबी और सीआईएच कार्यक्रमों के बारे में परियोजनाओं की स्वीकृति की रूपरेखा सहित विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे ताकि इन परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

### एमआईडीएच के प्रमुख तत्व

- आधारभूत सर्वेक्षण (प्रारूप **अनुलग्नक–IV**)
- पंचायतराज संस्थाओं का जुड़ाव (पैरा 4.10)
- क्षेत्र आधारित वार्षिक व संदर्शी योजनाएं (पैरा 3 व 5.1)
- क्षेत्र (एचएमएनईएच) पर केंद्रित प्रायोगिक अनुसंधान और फसल (पैरा 7. 3)
- समूह खेती का मांग आधारित उत्पादन (पैरा 7.4)
- गुणवत्ता वाले बीजों और पौध सामग्री की उपलब्धता (पैरा 7.5)
- उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीक आधारित कार्यक्रम, जैसे किः
  - उन्नत किस्मों की शुरुआत
  - उन्नत उत्पादों का नस्ल सुधार
  - उच्च घनत्व वाले बागान
  - प्लास्टिकों का उपयोग
  - फसलों में परागण के लिए मौन पालन (पैरा 7.41)
  - किसानों और कार्मिकों का क्षमता विकास (पैरा 7.33)
  - मशीनीकरण (पैरा 7.43)
  - नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन (पैरा 7.44,7.32)
- फसलोपरांत प्रबंधन और शीतगृह भंडारण (पैरा 7.46)
- बाजार के आधारभूत ढांचे का विकास (पैरा 7.53)
- एफआईजीएस/एफपीसी/एफपीओ (पैरा 8.4)
- डाटा बेस तैयार करना, संकलन और विश्लेषण (पैरा 8.5)
- एनएलए द्वारा तकनीकी सहायता (पैरा 9)

### अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

7.3. बागवानी और बांस कार्यक्रमों में अनुसंधान और विकास की दशा प्रायोगिक अनुसंधान पर आधारित होगी। इसमें ये क्षेत्र आएंगे– (i) बीज एवं पौध सामग्री, पौध सामग्री आयात सहित (ii) तकनीक का मानकीकरण (iii) तकनीक का अधिग्रहण (iv) प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजना के तौर–तरीकों का अग्रिम प्रदर्शन। बागवानी फसलों के मामले में अनुसंधान और विकास

कार्यक्रम जहां पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों तक सीमित रहेगा, वहीं बांस की खेती के मामले में यह पूरे भारत पर लागू होगा। अनुसंधान और विकास में मदद के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) व इससे संबद्ध संस्थान, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय व सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य शोध संस्थान/संगठन मान्य होंगे। इस क्रम में परियोजना प्रस्ताव राज्य बागवानी मिशन/राज्य बागवानी विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। बांस के संदर्भ में अनुसंधान व विकास के प्रस्ताव एनबीएम को सीधे दिए जा सकेंगे और अनुसंधान कार्यक्रम आर एण्ड डी कार्यदल के निर्देशन में होगा। प्रस्तावों की मंजूरी ईसी/ईएमसी देंगे।

## उत्पादन एवं उत्पादकता सुधार

7.4. मिशन उत्पादन और उत्पादकता पर बुनियादी जोर देगा। इसके लिए वह उन्नत और सटीक तकनीक की सहायता लेगा ताकि हर तरह की बागवानी फसलों की गुणवत्ता और जैविक उन्नयन के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सामना किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों को अपनाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा जहां प्रायः अलग–अलग तरह की फसलों के विकास का एक सामूहिक नजरिया सामने हो और जो कृषि जलवायु के लिहाज से राज्य/क्षेत्र के लिए सर्वाधिक अनुकूल हो। सामूहिक खेती का यह दृष्टिकोण कृषकों को एफपीओ/एफपीसी के माध्यम से एकजुट होने में भी सहायक होगा। उत्तम गुणवत्ता की पौध सामग्री की उपलब्धता पर खासा ध्यान रहेगा। साथ ही, नर्सरियों और टिश्यु कल्चर यूनिटों की स्थापना और उन्नयन के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसे बाजार की जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्नत किस्मों के तहत नए क्षेत्रों को जोड़ते हुए बागान विकास कार्यक्रमों के जरिये पूरा किया जाएगा। फलों की खेती के लिए बीज आधारित पौध सामग्री जिसका वानस्पतिक प्रजनन किया जा सकता हो, सब्सिडी सहायता के लिए मान्य नहीं होगी।

## पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण

### नर्सरियां

7.5. बेहतर किस्म के बीज व पौध सामग्री के उत्पादन और वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। पौध सामग्री के उत्पादन के लिए राज्यों के पास नर्सरियों का एक नेटवर्क होगा जो कि केंद्र अथवा राज्य की मदद से स्थापित किया जाएगा। पौध सामग्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए (बागवानी फसलों की उन्नत किस्मों और पुराने व जीर्ण बागानों के पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने के लिए) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नई हाई–टेक नर्सरियों व छोटी नर्सरियों की स्थापना के लिए सहायता दी जाएगी। हाई–टेक नर्सरियों का क्षेत्रफल 1 से 4 हेक्टेयर तक होना चाहिए और प्रति हेक्टेयर में फलों/मसालों/सुगंधित पेड़–पौधों व अन्य बारहमासी प्रजातियों के 50,000 पौधे उगाने की क्षमता होनी चाहिए। नर्सरी में जो पौधे उगाए गए हों, गुणवत्ता के दृष्टिगत उनकी परख की जाएगी। बांस उत्पादन के मामले में हाई–टेक नर्सरी का आकार 2 हेक्टेयर तक सीमित रखा जाएगा। नर्सरियों हेतुः

(i) उचित चाहरदिवारी हो

(ii) पॉली कवर/उन्नत नस्लों के मदर ब्लाक

(iii) रूट स्टाक ब्लॉक (बांस उत्पादन के मामले में राइजोम बैंक)

(iv) नेट हाउस

(v) सिंचाई के साधन

(vi) कीट निरोधी जाल के साथ हाई–टेक ग्रीन हाउस तथा कोहरे पाले से सुरक्षा की प्रणाली

(vii) कीट निरोधी नेट हाउस का सुदृढीकरण/रखरखाव, प्रकाश व्यवस्था और छिड़कावयुक्त सिंचाई प्रणाली

(viii) समुचित सिंचाई व्यवस्था के लिए पम्प हाउस तथा कम से कम दो दिन की आवश्यकता लायक जल संग्रहण टंकी।

(ix) वॉयलर सहित स्वाइल सोलराइजेशन–स्टीम स्टरीइलाजेशन सिस्टम

7.6. एक हेक्टेयर् तक के क्षेत्रफल वाली छोटी नर्सरियों में वातायन युक्त प्राकृतिक ग्रीन हाउस और नेट हाउस का प्रावधान होगा। छोटी नर्सरियां बारहमासी वानस्पतिक प्रजनन के तहत फलों/मसालों/सुगंधित पेड़ों इत्यादि के 25,000 पौधों का उत्पादन कर सकेगी।

7.7. नर्सरियां बीज और पौध सामग्री के दृष्टिकोण कानूनी नियामकों के अंतर्गत आएंगी। नर्सरियों को उत्पादन समूहों के रूप में स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

7.8. नर्सरियों को मान्यता प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एमआईडीएच के लिए पौध सामग्री सिर्फ मान्यता प्राप्त नर्सरियों से ही खरीदी जा सकेगी। वार्षिक कार्ययोजना को मान्यता प्राप्त नर्सरियों में बेहतर गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की उपलब्धता के लक्ष्य से जोड़ा जा सकेगा। एसएचएम यह भी सुनिश्चित करेगा कि एमआईडीएच के अंतर्गत स्थापित सभी नर्सरियों को अठारह माह की अवधि के भीतर बागवानी बोर्ड, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों इत्यादि नामित एजेंसियों से मान्यता मिल जाए।

7.9. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नर्सरियां मान्यता के लिए जरूरी मानकों को हासिल करने के लिए अपने आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु सहायता प्राप्त कर सकती हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नर्सरियों की मान्यता प्राप्ति के लिए **अनुलग्नक–VII** में उल्लिखित मानकों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को शत–प्रतिशत सहायता मुहैया कराने के साथ–साथ मदर ब्लाक और रूट स्टॉक नर्सरियों की स्थापना के लिए भी परियोजनाओं को हाथ में ले सकेगा।

7.10. नारियल विकास बोर्ड नारियल के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था करेगा। इसके लिए वह **अनुलग्नक–VIII** में उल्लिखित मानकों के अनुसार प्रदर्शन–सह–बीज उत्पादन फार्म, क्षेत्रीय नर्सरियों और न्यूक्लस नारियल बीज फार्म का सहारा लेगा।

7.11. बांस नर्सरियों को **अनुलग्नक–VI** में उल्लिखित मानकों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

## टिश्यु कल्चर इकाईया

7.12. नई टिश्यु कल्चर इकाईयां स्थापित की जाएंगी और मौजूदा इकाईयों की पुनर्स्थापना/मजबूती के लिए मदद दी जाएगी। नई टिश्यु कल्चर इकाईयां जरूरी फसलों के 25 लाख पौधों का उत्पादन करेंगी जिनके व्यावसायिक उपयोग के लिए खजूर को छोड़कर, नियमावली उपलब्ध हैं। कम संख्या में पौधों के उत्पादन की स्थिति में लैब की लागत समानुपातिक ढंग से कम हो जाएगी (यह इसकी जीवन क्षमता पर निर्भर करेगा)। सार्वजनिक क्षेत्र की नई टिश्यु इकाई परियोजनाएं उन्हीं एजेंसियों को स्वीकृत की जाएंगी जिनके पास अपेक्षित तकनीकी श्रमशक्ति होगी। श्रमश्रक्ति और आकस्मिकता हेतु कोई आवर्ती व्यय एमआईडीएच के अंतर्गत वहन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक टिश्यु कल्चर इकाई को राशि प्राप्त करने के बाद अठारह माह के भीतर जैव तकनीक विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त करनी होगी। इसमें विफल रहने की स्थिति में परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता वापस ले ली जाएगी।

## सब्जी बीज उत्पादन

7.13. सब्जी बीज उत्पादन की अनुमानित लागत मुक्त परागकण फसलों के मामले में 35,000 प्रति हेक्टेयर आती है। हाई–ब्रिड किस्म के सब्जी बीजों के उत्पादन के मामले में यह 1.50 लाख प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। सार्वजनिक क्षेत्र को इसके लिए कुल लागत की शत–प्रतिशत सहायता दी जाएगी जबकि निजी क्षेत्र को सब्सिडी सहित 50 प्रतिशत कर्ज आधारित सहायता मिल सकेगी। यह सहायता प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर पर उपलब्ध होगी।

7.14. 'रोगमुक्त सब्जी बीज उत्पादन' हाई–ब्रिड उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगा। जहां कहीं आवश्यक हो, अंकुरण के लिए 'प्लग टेक्नोलॉजी' और वातायन नियंत्रण, बीज वृद्धि और सुदृढ़ बीजरण प्रारम्भ किया जाएगा। आधारभूत सुविधाओं में अधिकतम 10,000 वर्गमीटर क्षेत्र में विस्तृत ग्रीन हाउस शामिल होगा जिसमें सुदृढ़ीकरण की सुविधाएं, नमी की दशाएं, कीट सुरक्षा जाल और रोलिंग पॉलीशीट इत्यादि प्रबंध होंगे। पौधों को अलग–अलग फसलों के लिए अलग–अलग प्लग के अनुसार प्लास्टिक की छोटी–छोटी ट्रे में उगाया जाएगा। छिड़कावयुक्त सिंचाई प्रणाली स्थापित की जाएगी। मीडिया स्टरलाइजेशन यानी स्टीम बॉयलर, होल्डिंग बिन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे। एक इकाई के लिए प्रति हेक्टेयर 104.00 लाख रुपये या प्रति वर्गमीटर 1040 रुपये से अधिक की लागत नहीं आनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए शत–प्रतिशत सहायता जबकि निजी क्षेत्र के लिए सब्सिडी युक्त कर्ज आधारित 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी।

## बगान सामग्री का आयात

7.15. बागवानी फसलों की नवीनतम किस्मों की श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली बागान सामग्री की खरीद के मद्देनजर विदेशों से आयात की जाने वाली सामग्री की लागत पूरा करने के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एमआईडीएच की उपयोजनाओं– एनएचएम, एचएमएनईएच और एनएचबी को लागत की शत–प्रतिशत सहायता मुहैया कराई जाएगी।

7.16. राज्य बागवानी मिशन/राज्य बांस विकास एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को समय पर श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बीज और बागान सामग्री उपलब्ध हो।

### बगान सामग्री के संदर्भ में क्या करें, क्या न करें

**करें**

i. जरूरत और उपलब्धता के आधार पर किस्मों का आकलन

ii. नर्सरियों में मदर ब्लाक और आधारभूत सरंचना की आवश्यकता

iii. बागान सामग्री को जांचा जाए और यह गुणवत्ता के लिहाज से प्रामाणिक हो।

iv. किसानों को मान्यता प्राप्त नर्सरियो से रोगमुक्त सामग्री की आपूर्ति की जाए।

v. एमआईडीएच के अंतर्गत स्थापित नर्सरियां सालभर के भीतर मान्यता प्राप्त करें।

**न करें**

i. बीज आधारित पौध सामग्री का बारहमासी फलों वाली फसलों के लिए प्रयोग

ii. पौध सामग्री को परिवहन द्वारा लंबी दूरी तक ले जाना

## बीजों के लिए आधारभूत सरंचना

7.17. बीजों का समुचित साज–संभाल, भंडारण और पैकेजिंग को सुगम बनाने के लिए आधारभूत ढांचे के तहत नमी रहित चबूतरे, भंडारण के लिए डिब्बे, पैकेजिंग इकाई और अन्य संबंधित उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत की शत–प्रतिशत जबकि निजी क्षेत्र को 50 प्रतिशत सहायता दी जाएगी।

## नए बगीचों की स्थापना

7.18. मिशन बागवानी फसलों की उन्नत किस्मों के क्षेत्र विस्तार की संभावना पर जोर देता है। फल, सब्जी, बागान व अन्य फसलों जिनमें फूल, मसाले और सुगंधित पेड़–पौधे इत्यादि शामिल हैं, के क्षेत्र विस्तार के नियमों का उल्लेख **अनुलग्नक–V** में भी है। क्षेत्र विस्तार के इस कार्य को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत खुदाई, बाड़ लगाना इत्यादि श्रमकार्य किए जा सकेंगे। एनबीएम, सीडीबी योजनाओं के तहत नए क्षेत्रों को शामिल किए जाने के लिए सहायता का ब्योरा क्रमशः **अनुलग्नक–VI** और **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है। एनएचबी खुले खेतों में व्यावसायिक बागवानी विकास परियोजनाओं को हाथ में लेगा। यह कार्य **अनुलग्नक–VII** में दिए गए नियमों के अनुसार होगा। नए बागानों को विकसित किए जाने की लागत हालांकि फसल–दर फसल अलग–अलग होगी और लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराते समय इसी आधार को ध्यान में रखा जाएगा। फलोत्पादन के लिए चयनित क्षेत्र विस्तार की संभावित लागत इकाई लागत **परिशिष्ट–I** में दी गई है।

### नए बगीचों के संदर्भ में क्या करें, क्या न करें

**करें**

i. उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक फलदार किस्मों पर ध्यान देना

ii. पौध सामग्री मान्यता प्राप्त नर्सरियों से ही खरीदें

iii. नए क्षेत्रों को जरूरी फसलों के चिह्नित कलस्टरों में ही लिया जाए

iv. पौधों के बेहतर जीवन के लिए सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया जाए

v. लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के तहत ही भुगतान हो

**न करें**

i. नए बगीचों को 10 हेक्टेयर ब्लाक से कम के पृथक टुकड़ों में बनाना

### मशरूम उत्पादन

7.19. मशरूम के मामले में व्यक्तिगत उत्पादन इकाई लगाने, इसके अंडाकरण और और कम्पोस्ट निर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए **अनुलग्नक–V** में प्रस्तुत ब्योरे के अनुसार सहायता दी जाएगी।

### जीर्ण–शीर्ण बागानों का पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन/रख–रखाव प्रबंधन

7.20. कम उत्पादन वाले बगीचों और बागानों के लिए पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह निजी किसानों, कृषक सहकारिताओं, स्वयंसेवी संगठनों, उत्पादक संघों और उत्पाद संगठनों द्वारा लागू किया जाएगा। जीर्ण बागानों के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन के लिए कुल लागत की 50 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। यह प्रति लाभार्थी 2 हेक्टेयर तक सीमित रहेगी (**अनुलग्नक–V**)। जीर्ण–शीर्ण और अनुत्पादक बागानों के पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध सहायता सिर्फ प्रमाणित तकनीक के जरिये दी जाएगी। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी खास फसल की प्रकृति और जरूरत क्या है। उत्पादन वृद्धि के एक साधन के रूप में आवरण प्रबंधन पर पेड़ों की संरचना, खासकर फलों की फसल और उच्च घनत्व वाले बागानों के रख–रखाव की जिम्मेदारी होगी। अंकुरमूलक की उत्पति के संबंध में अलाभकारी बगीचों को उन्नत किस्मों में बदलने पर विचार किया जाएगा।

7.21. बांस के संबंध में गैर–वन्यक्षेत्र में उत्पादित फसल सुधार (**अनुलग्नक–VI**) में दिए गए मानकों के अनुसार किया जाएगा।

7.22. इसी तरह नारियल के संबंध में नारियल के पुराने बगीचों का पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन **अनुलग्नक–VIII** में दिए गए मानकों के अनुसार किया जाएगा।

### जल स्रोतों का निर्माण

7.23. बागवानी फसलों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु मिशन के अंतर्गत जल स्रोतों के निर्माण के लिए सामुदायिक टैंकों, फॉर्म तालाबों/प्लास्टिक/पक्की नाली से जुड़े जलाशयों के निर्माण के रूप में सहायता दी जाएगी (**अनुलग्नक–V और अनुलग्नक–VI**)। इसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा जाएगा और जहां तक संभव हो ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए ये जल इकाईयां सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं से जोड़ी जा सकती हैं। एनएचएम के तहत दी जाने वाली सहायता प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग पर आने वाली लागत तक सीमित होगी। लाइनिंग सामग्री को बीआईएस मानकों पर खरा होना चाहिए। हालांकि जहां महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मदद संभव नहीं होगी, वहां प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग समेत कुल लागत की शत–प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जलस्रोत के रख–रखाव की जिम्मेदारी समुदाय की होगी।

7.24. खेतों में तालाबों/ट्यूबवेलों/कुओं के व्यक्तिगत निर्माण के लिए भी सहायता मुहैया कराई जाएगी। छोटे आकार के तालाबों/ट्यूबवेलों/कुओं की लागत सिंचाई क्षेत्र के हिसाब से समानुपातिक आधार पर आंकी जाएगी। यह कार्य भी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा जाएगा। हालांकि गैर–मनरेगा लाभार्थियों को प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग समेत कुल लागत की 50 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लाइनिंग सामग्री को बीआईएस मानकों पर खरा होना चाहिए। संपत्ति के रख–रखाव की जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।

### सरंक्षित खेती

7.25. ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग और प्लास्टिक टनल, एंटी बर्ड/हेल नेट्स के निर्माण जैसी गतिविधियों को मिशन के तहत बढ़ावा दिया जाएगा (**अनुलग्नक–V**)। एनएचबी 2,500 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं को लागू करेगा (**अनुलग्नक–VII**)। ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस निर्माण के लिए विविध प्रकार की सामग्री के चयन हेतु प्रावधान किए गए हैं। निर्माण की लागत को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि सभी प्रकार की सामग्री/तकनीक बीआईएस मानकों के मुताबिक होनी चाहिए।

### विशिष्ट खेती व विशिष्ट खेती विकास केंद्रों के जरिये इसका विस्तार

7.26. विशिष्ट खेती विकास केंद्र (पीएफडीसी) क्षेत्रानुसार अलग–अलग तकनीक विकसित किए जाने तथा इसके प्रसार व प्रमाणीकरण की दिशा में काम करेंगे। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थान और आईआईटी खड़कपुर में 22 पीएफडीसी कार्यरत हैं। प्लास्टिकल्चर के इस्तेमाल पर प्रायोगिक अनुसंधान का इनका अनुभव देखें तो इन्हें श्रमशक्ति और उपकरणों के मामले में विशेषज्ञता हासिल है। पीएफडीसी विशिष्ट खेती की तकनीक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जरूरी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर उपकरणों से लैस होंगे। अंतिम उद्देश्य कृषकों को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे आवश्यक इनपुट्स लागू करने की स्थिति में हों। आईसीएआर जैसे अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को भी तकनीक के विकास में शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एमआईडीएच द्वारा विशिष्ट खेती विकास केंद्रों को

राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से परियोजना आधारित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्लास्टीकल्चर और बागवानी फसलों की विशिष्ट खेती के लिए प्रयुक्त तकनीकों के परीक्षण व प्रदर्शन, किसानों/अधिकारियों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी व प्रचार तथा तकनीक को अपनाने लायक खेतों की पहचान के लिए सर्वेक्षण आदि गतिविधियों को पीएफडीसी अंजाम देगा। पीएफडीसी अपनी गतिविधियों की वार्षिक योजना राज्य बागवानी मिशन के समक्ष प्रस्तुत करेगा और इसकी एक प्रति अग्रिम रूप से एनसीपीएएच को देगा।

## समेकित पोषण प्रबंधक (आईएनएम) और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) को बढ़ावा

7.27. बागवानी फसलों के साथ–साथ बांस उत्पादन के क्षेत्र में भी समेकित पोषक प्रबंधक (आईएनएम) और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) जैसे उपायों के जरिये मदद दी जाएगी। इसका उल्लेख क्रमशः **अनुलग्नक–V** और **अनुलग्नक–VI** में है। रोग पूर्वानुमान इकाईयां, बायो कंट्रोल लैब, प्लांट हेल्थ क्लीनिक व लीफ/टिश्यु एनलिसिस लैब इत्यादि सुविधाओं के विकास के लिए भी सहायता दी जाएगी। बायो कंट्रोल लैब और हेल्थ क्लीनिक व लीफ/टिश्यु एनलिसिस लैब चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के, दोनों को सहायता मिल सकेगी। किन्तु, रोग पूर्वानुमान इकाईयों के मामले में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र ही मदद का हकदार होगा। यह लाभार्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह व्यावसायिक बिक्री के लिए बायो नियंत्रण एजेंटों का पंजीकरण कराएं।

7.28. समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम) के अंतर्गत एन, पी और के नामक तरल बायोफर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम/एजोस्प्रिलियम/एजोटाबेक्टर, फास्फेट सोल्युब्लिशिंग बैक्टीरिया और पोटाश मोबालाइजिंग बैक्टीरिया इत्यादि के लिए सब्सिडी ली जा सकेगी। यह सहायता राशि कुल लागत की 50 प्रतिशत या 300 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। एक लाभार्थी को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए यह लाभ मिल सकेगा।

## जैविक खेती

7.29. पर्यावरण और आर्थिक लाभ के नजरिये से प्रामाणिक जैविक तकनीक को अपनाकर बागवानी में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

7.30. बारहमासी और मौसमी फलों, सब्जियों, सुगंधित पौधों, मसालों इत्यादि की जैविक खेती के लिए लागत की 50 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता के अलावा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम को भी प्रति लाभार्थी अधिकतम चार हेक्टेयर किया जाएगा। इसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। सब्जी उत्पादन के मामले में सहायता राशि तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये तक सीमित होगी। एनएचएम वर्मीखाद इकाईयां और एचडीपीसी वर्मीवेड्स स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत की सहायता देगा। यह सहायता 30′x8′x2.5 साइज वाली इकाईयों के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 50,000 रुपये होगी। छोटी इकाईयों के लिए यह समानुपातिक आधार पर दी जाएगी। 96 सीएफटी साइज (12′x4′x2′) की वर्मीबेड पर प्रति बेड 16,000 रुपये की लागत आएगी और इसके लिए 50 प्रतिशत सहायता मुहैया कराई जाएगी। वर्मीकल्चर के लिए एग्रो–टेक्सटाइल–एचडीपीई ओवन बेड्स का विवरण और डिजाइन का पैमाना बीआईएस मानकों (आईएस 15907:2010) के अनुरूप होना चाहिए। जैविक प्रमाणन एपीईडीए द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता और प्रमाणक एजेंसियों द्वारा निर्देशित होगा।

### जैविक खेती के संदर्भ में क्या करें, क्या न करें

**करें**

i. ऐसी फसलों को ही लें जो अधिमूल्य दे सकती हों
ii. जैविक उत्पादों का बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित करें
iii. सुनिश्चित करें कि जैविक प्रमाणीकरण मान्यताप्राप्त एजेंसियों से हो

**न करें**

i. पृथक टुकड़ों में जैविक खेती
ii. खरीद और जैविक आदानों की आपूर्ति में सीमित भागीदारी

## बेहतर कृषि व्यवहार (जीएपी)

7.31. वैश्विक कृषि व्यवहार की तर्ज पर हमारे यहां भी किसानों को बेहतर कृषि व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीएपी प्रमाणीकरण को प्रारंभ किया गया है ताकि किसान न सिर्फ घरेलू, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी उपज का अच्छा मूल्य पा सकें। इसके लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए कुल लागत की 50 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। **(अनुलग्नक–V)**। इस कार्य के लिए एपीईडीए द्वारा सूचीबद्ध प्रमाणीकरण एजेंसियों को ही शामिल किया जाएगा।

## उत्कृष्ट बागवानी केंद्र

7.32. अलग–अलग बागवानी उत्पादों के लिए उत्कृष्ट बागवानी केंद्रों की स्थापना संभव है। ये केंद्र प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा ये सरंक्षित खेती के तहत पौध सामग्री और सब्जी बीजों के स्रोत के रूप में भी कार्य करेंगे।

## बागवानी में मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

7.33. एचआरडी कार्यक्रम के तहत किसानों, उद्यमियों, फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकाधिक उपज देने वाली फसलों और कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए किसानों को राज्य और राज्य के बाहर समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रमों को लागू करने वाले अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों के लिए इस उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि वे आगे किसानों को भी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दे सकें। **(अनुलग्नक–V और अनुलग्नक–VI)**।

7.34. सुपरवाइजरों, उद्यमियों, मालियों और फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता 12वीं योजना के दौरान जारी रहेगी।

7.35. पर्यवेक्षकों, उद्यमियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के चुनिंदा कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीआर से संबद्ध संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विवि/डीम्ड विवि/निजी विवि के माध्यम से बागवानी प्रशिक्षण की सुविधाएं होनी चाहिए। विभागीय कर्मचारियों को वर्तमान में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का सारा व्ययभार मिशन उठाएगा।

7.36. पर्यवेक्षण और उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हायर सेकेंडरी जबकि मालियों के लिए 8वीं कक्षा यानी मिडिल होगी।

7.37. प्रशिक्षण के लिए चयनित संस्थानों के पास क्लास रूम, स्टाफ, हॉस्टिल इत्यादि सहित न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए।

7.38. पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि एक साल, मालियों के लिए छह माह और उद्यमियों के लिए तीन माह होगी। उम्मीदवार इस कोर्स के प्रति आकर्षित हों और एक बार दाखिले के बाद बीच में छोड़कर न जाएं, इसके लिए प्रवेश और हॉस्टिल इत्यादि सुविधाओं के रूप में उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये कोर्स आवासीय होंगे। प्रशिक्षण की समाप्ति पर पर्यवेक्षकों को बागवानी में डिप्लोमा दिया जाएगा जबकि मालियों और उद्यमियों को प्रमाण पत्र दिये जाएंगे। हर वर्ष सहभागी हर संस्थान से कम से कम 25 पर्यवेक्षक, 50 माली व 25 उद्यमी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

7.39. राज्य यदि बागवानी से संबंधित विषयों को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाजित करना चाहें तो उन्हें संबंधित राज्य की संस्तुति पर संबधित संस्थान सीधी मदद देंगे। ऐसा कोई भी प्रशिक्षण 7–10 दिन का होगा और इसमें सहभागियों की संख्या 20 से 25 होगी।

7.40. प्रशिक्षक जिन्हें अन्यों को प्रशिक्षण देना हो, प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा सकता है। उनके यात्रा व्यय और प्रशिक्षण शुल्क के लिए सहायता उपलब्ध कराई बागवानी/कृषि/एचएचएम विभाग इसके लिए एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेंगे। मिशन के विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल उम्मीदवारों पर होने वाले व्यय की भरपाई के लिए एसएचएम को राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

## मौन पालन के जरिये परागण

7.41. अधिकाधिक कृषि उत्पादन के लिए मधुमक्खी एक महत्वपूर्ण आदान हो सकती हैं। राज्यों में मौन पालन विकास कार्यक्रम के समन्वय की जिम्मेदारी राज्य द्वारा नामित एजेंसी (एसएडी) या अन्य सक्षम संस्थान/समुदाय को सौंपी जाएगी। राज्यों में मौनपालन गतिविधियों के समन्वय का दायित्व राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड पर होगा।

7.42. मधुमक्खियों के केंद्रकों के भंडारण, प्रजनन, शहद के वितरण और मौन पालन उपकरणों से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता का भी प्रावधान है **(अनुलग्नक–V)**।

## बागवानी का यांत्रिकीकरण

7.43. बागवानी में यांत्रिकी के इस्तेमाल का उद्देश्य कृषि क्षमता में वृद्धि और कृषि कार्य में लगी श्रमशक्ति में कमी लाना है। इस दिशा में नई मशीनों के आयात **(अनुलग्नक–V)** के अलावा बिजली से चलने वाली मशीनों और कलपुर्जों की खरीद के लिए सहायता दी जाएगी। बागवानी के मशीनीकरण के लिए भी उत्पादक संघों, कृषक समूहों, स्वयंसेवी संगठनों और बागवानी फसलों की खेती से संबद्ध कम से कम दस सदस्यों वाले महिला किसान समूहों को संबंधित मशीनों और कल–पुर्जों की खरीद पर कीमत की 60 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। एसएचएम संबंधित संगठनों/समूहों के साथ इन मशीनों व कलपुर्जों की समुचित देखभाल, संचालन और रखरखाव के लिए लिखित समझौता करेगी।

## प्रदर्शन के जरिये तकनीक की अधिकाधिक समझ

7.44. फसलों की विशिष्ट खेती, आईपीएम/आईएनएम का उपयोग, संरक्षित खेती और जैविक खेती में नवीनतम तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस सिलसिले में किसानों की सहभागिता से उनके कृषि जोतों के चुनिंदा एक हेक्टेयर के खेत में ऐसी खेती की नुमाइश की जाएगी। इसके लिए लागत की 75 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। ग्रीन हाउस खेती के मामले में यह 500 वर्गमीटर तक सीमित रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म, एसएयू और बागवानी सुविधाओं से युक्त डीम्ड विश्वविद्यालय अग्रिम नुमाइश के लिए बेहतर स्थल हो सकते हैं। इन्हें इस काम के लिए शत–प्रतिशत सहायता दी जाएगी। लेकिन किसी एक परियोजना के लिए यह अधिकतम 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती।

7.45. ऐसी प्रदर्शनियां बांस के संबंध में **अनुलग्नक–V** में और नारियल के संबंध में **अनुलग्नक–VIII** में उल्लिखित मानकों के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

## समेकित फसलोपरांत प्रबंधन

7.46. फसलोपरांत प्रबंधन जिसमें औषधियुक्त पौधों का प्रबंधन भी शामिल है, के अंतर्गत विभिन्न तरह की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। जैसे– व्यवस्थापन, श्रेणी निर्धारण, अस्थायी भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, सुधार, पकाना और जहां जरूरी हो, अधिक समय तक के लिए भंडारण इत्यादि। इन कार्यों में जितना संभव हो, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनडीडीसी) की मौजूदा योजनाएं उत्तोलक का काम करेंगी। एमआईडीएच द्वारा जिन संस्थापन क्षेत्रों को परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा, वे हैं– प्री–कूलिंग यूनिट, ऑन–फार्म पैक हाउस, मोबाइल प्री–कूलिंग यूनिट, वातानुकूलित या गैर–वातानुकूलित शीतगृह भंडारण इकाईयां, एकीकृत कोल्ड चेन प्रणाली, रेफ्रिजिरेटेड वैन व कंटेनरों की आपूर्ति, प्राइमरी/मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, राइपिंग चैबर, भाप–परावितत/कम उर्जा वाले ठंडे चैंबर, प्रिजर्वेशन यूनिटें, प्याज भंडारण इकाईयां और जीरो–एनर्जी कूल चेंबर इत्यादि। ये परियोजनाएं उद्यमियों के लिए होंगी और इनके लिए सब्सिडी आधारित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पीएसयू/सरकारी एजेंसियां/सहकारी संगठन और डीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत कम से कम 25 सदस्यों वाले उत्पादक संघ भी फसलोपरांत प्रबंधन से जुड़ी इन गतिविधियों के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इन्हें दी जाने वाली सब्सिडी ऋण आधारित नहीं होगी बशर्ते वे परियोजना की कुल लागत में अपना अंश देने में समर्थ हों।

## भीतगृह भंडारण संरचना

7.47. नए शीतगृहों के आधारभूत ढांचे की स्थापना के लिए सिर्फ मल्टी–चेंबर कोल्ड स्टोरेज यूनिटों को सहायता दी जाएगी। ऐसी इकाईयां तापरोधक तकनीक के साथ ऊर्जा सक्षम हों। साथ ही, मंत्रालय द्वारा मंजूर मानकों और विशेषताओं के मुताबिक आर्द्रता नियंत्रण, आधुनिक कूलिंग प्रणाली और स्वचालित प्रणाली इत्यादि सुविधाओं से युक्त हों। एक ओर जहां 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों (दीर्घकालीन भंडारण और वितरण केंद्र) को एनएचएम/एचएमएनईएच उप–योजना **(अनुलग्नक–V)** के तहत बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं 5000 से 10000 मीटिक टन वाले कोल्ड स्टोरेजों को एनएचबी उपयोजना **(अनुलग्नक–VII)** के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। इस संदर्भ में कोल्ड स्टोरेज के लिए 3.5 क्यूबिक मीटर (112 क्यूबिक फीट) का चेंबर वोल्यूम एक मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के बराबर माना जाएगा। इसी प्रकार रेफ्रिजिरेटेड टांसपोर्ट, 3 क्यूबिक मीटर (116 क्यूबिक फीट) का चेम्बर वोल्यूम एक मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के बराबर माना जाएगा। प्री–कूलिंग यूनिट के लिए मुहैया कराई जाने वाली सहायता को पैक–हाउसों और कोल्ड–रूमों से जोड़ा जाएगा। इसी तरह कोल्ड रूम की तैयारी के लिए दी जाने वाली सहायता को मौजूदा व नए प्री–कूलर्स से जोड़ा जाएगा।

7.48. कोल्ड स्टोरेज परियोजना को मंजूरी देते समय कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन अवयवों के लिए तय मौजूदा मानकों और प्रोटोकॉलों का पालन किया जाएगा। जब कभी नई तकनीक को मंजूर और लागू किया जाएगा तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय शीतगृह भंडारण विकास केंद्र (एनसीसीडी) द्वारा तकनीकी मानकों का पुनरीक्षण और प्रोटोकॉल की पालन–शक्ति का भी नवीनीकरण किया जाएगा।

7.49. फसलोपरांत प्रबंधन की आधारभूत संरचना से जुड़े अवयवों के संयोजन के लिए भी कोई लाभार्थी अलग–अलग चीज के लिए निर्धारित मानकों के मुताबिक सहायता प्राप्त कर सकता है। यह सहायता अलग–अलग व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं/साझीदारों/ट्रेडमार्का फर्मों स्वयं सहायता समूहों/कृषक उत्पादक संगठनों, कंपनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, सहकारी विपणन महासंघों, स्थानीय निकायों, कृषि उत्पाद बाजार समितियों, विपणन बोर्ड और राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध है।

7.50. कोल्ड चेन अवयवों को लेने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि एकल परियोजना को बारहवीं योजना के एक नए अवयव के रूप में समेकित गतिविधियों से जोड़ा जा सके।

7.51. बांस उत्पादन के मामले में बांस के फसलोपरांत भंडारण और व्यवहार की सुविधाएं **अनुलग्नक–VI** में उल्लिखित मानकों के अनुसार पीएचएम उपलब्ध कराएगा।

7.52. लंबी दूरी के परिवहन के समाधान के लिए परियोजना आधारित प्रस्तावों को एनएचबी उप–योजना के अधीन सहायता दी जाएगी।

## बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण

7.53. इस क्षेत्र के अंतर्गत सहायता के मुख्य उद्देश्य हैं– (ए) बागवानी उत्पादों के लिए विपणन के आधारभूत ढांचे के विकास में निजी और सहकारी क्षेत्र से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन (बी) थोक और ग्रामीण बाजारों सहित मौजूदा बागवानी बाजारों को मजबूती देना (सी) किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए बागवानी उत्पादों के फार्म/बाजार के स्तर पर वर्गीकरण, स्तरीयता और गुणवत्ता संबंधी प्रमाणन पर जोर देना (डी) किसानों, उपभोक्ताओं, व्यवसायियों और बाजार के कारकों के बीच बाजार आधारित कृषि व्यवहार की दिशा में जागरूकता पैदा करना।

7.54. थोक बाजार, ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी और खुदरा बाजारों की स्थापना के लिए सब्सिडी आधारित ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। टर्मिनल मार्केट के मामले में निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाएगी जिसके लिए अलग से दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे। ये एनएचएम की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। स्थिर/चलते–फिरते ठेलों के लिए भी सहायता दी जाएगी। क्रियाशील आधारभूत सरंचना की स्थापना के लिए भी सब्सिडी आधारित ऋण सहायता दी जाएगी।

7.55. बाजार की स्थापना के लिए सिर्फ उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता दी जाएगी जिन्होंने अपने यहां राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन कर लिया हो और संशोधित नियमों को निम्नलिखित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित किया हो–

(ए) निजी और सहकारी क्षेत्र में नए बाजारों की स्थापना

(बी) प्रत्यक्ष विपणन (थोक विक्रेताओं/कई खुदरा विक्रेताओं/प्रसंस्करण इकाईयों/निर्यातकों)। (जल्द खराब होने वाले

बागवानी उत्पादों की यदि बाजार क्षेत्र से बाहर खरीद–फरोख्त होती हो तो उस पर कोई बाजार शुल्क नहीं लगेगा)।

(सी) लाइसेंस के लिए बाजार क्षेत्र में परिसर की अनिवार्यता की समाप्ति।

(डी) ठेके पर खेती तथा

(ई) जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पादों पर बाजार शुल्क में छूट।

7.56. व्यक्तियों, कृषक समूहों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं, साझेदारियों/टेडमार्का फर्मे स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक सगठन, कंपनियां, निगम, सहकारी संगठन, सहकारी विपणन महासंघ, स्थानीय निकाय, कृषि उत्पाद बाजार समितियां (एपीएमसी) व बाजार बोर्ड तथा राज्य सरकारों के लिए सहायता उपलब्ध है। सहायता के लिए सिर्फ उन्ही एपीएमसी के परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जो बागवानी उत्पादों पर लेवी सेस नहीं लेती हों।

7.57. आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल परियोजना राशि की 15 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। उद्यमी कर्ज अवधि के दौरान भूमि का उपयोग स्वीकृत परियोजना के अलावा किसी अलग उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे। डीपीआर मे इसके लिए उद्यमी को अलग से शपथ पत्र देना होगा। परियोजना का आकार आर्थिक और व्यावसायिक सरोकारों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

7.58. मिशन के तहत गुणवत्ता नियंत्रण/लैब परीक्षण को शामिल किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप परीक्षण हेतु जरूरी आधारभूत सरंचना और श्रमशक्ति से युक्त प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता दी जाएगी **(अनुलग्नक–V)**।

7.59. बांस के संदर्भ में गांवों के निकट बांस बाजार, थोक व खुदरा बांस बाजार और **अनुलग्नक–VI** में दिए गए मानकों के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाएगी।

### प्रसंस्करण व मूल्य संवर्द्धन

7.62. बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। एक ओर प्राथमिक/लघु प्रसंस्करण इकाईयों को एनएचएम के तहत बढ़ावा दिया जाएगा, वही बड़ी प्रसंस्करण इकाईयों के मामले में यह भूमिका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय निभाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को एचएमएनईएच उप–योजना के अंतर्गत **अनुलग्नक–V** में दिए गए मानकों के अनुसार बढ़ावा दिया जाएगा।

7.61. बागवानी फसलों की उत्पादन वृद्धि, बाजार सूचना और बाजार सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं को एनएचबी देखेगा। नारियल के मामले में यही कार्य सीडीबी करेगा।

### नरियल बीमा योजनाएं

7.62. नालियल विकास बोर्ड नारियल उत्पादकों के हित में **अनुलग्नक–VIII** में उल्लिखित मानकों के अनुरूप (i) कोकोनेट पाम इन्श्योरेंस तथा (ii) कीड़ा सुरक्षा इन्श्योरेंस जैसी योजनाओं को कार्यरूप देगा।

7.63. एमआईडीएच किसानों को एफपीओ/एफपीसी जैसे संगठनों के रूप में एकजुट होने और लघु कृषक कृषि व्यवसाय महासंघ (एसएफएसी) द्वारा एफपीओ के विस्तार के लिए समय–समय पर जारी मार्गदर्शिका को लागू किए जाने को प्रोत्साहन देगा।

## 8 मिशन प्रबंधन

### राज्य बागवानी मिशनों/क्रियान्वयन एजेंसियों को सहायता

8.1. मिशन के राज्य व जिला कार्यालयों और क्रियान्वयन एजेंसियों के विभिन्न क्रिया–कलापों के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व्यय, राज्य व जिला स्तर पर परामर्शदाताओं, परियोजना की तैयारी, कंप्यूटरीकरण और आकस्मिकता इत्यादि के वार्षिक व्यय का 5 प्रतिशत राज्य बागवानी मिशनों/क्रियान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य/क्रियान्वयन एजेंसियां अपनी सालाना कार्य योजना में इसका प्रावधान करेंगी।

8.2. बागवानी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता जगाने और प्रचार–प्रसार संबंधी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानकों के मुताबिक अलग प्रावधान होंगे।

### संस्थागत सुदृढ़ीकरण/एफपीओ का गठन

8.3. डाटाबेस जुटाने व तैयार करने, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सॉफ्टवेयर विकास और हार्डवेयर की खरीद तथा वाहनों को किराये पर लेने इत्यादि कार्यों के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मिशन मुख्यालय के साथ ही एनएचबी और सीडीबी को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए मिशन के तकनीकी सहायता समूह घटक के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

8.4. बागवानी फसलों के विकास की दिशा में सक्रिय कृषक हित समूहों (एफआईजी), कृषक उत्पादक संगठनों (एफएओ) और उत्पादक संघों को मजबूत बनाने के लिए सहायता मुहैया कराई जाएगी।

### बागवानी डाटाबेस

8.5. बागवानी सांख्यिकी पर आधारित डाटाबेस को सशक्त करने के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है। इसे एसएचएम, बागवानी निदेशालय और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान जैसे संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के जरिये परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। बागवानी सांख्यिकी से संबंधित विशेष परियोजनाओं में आईएएसआरआई जैसे संस्थान एनएलए की तर्ज पर भागीदारी निभाएंगे।

### ढांचागत विकास में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को मदद

8.6. एमआईडीएच, बागवानी विकास की शोधपरक परियोजनाओं के लिए अपने उप–मिशनों के माध्यम से सहकारी संगठनों और एफपीओ जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को कोष उपलब्ध कराएगा। ये परियोजनाएं फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में होंगी और प्रस्तावों की मंजूरी पिछले अनुभव व वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगी। यह वित्त पोषण मिशन के मौजूदा अनुषंगों के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

### अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग

8.7. बागवानी विकास के लिए एफएओ, विश्वबैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतरर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा ऐसे देशों जिनके यहां विकसित आधुनिक बागवानी क्षेत्र है, के साथ सहयोग के प्रयास किए जाएंगे। एफएओ के 'यूनिलेटरल टस्ट फंड' (यूटीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत परस्पर सहमति की सेवा–शर्तो के साथ परियोजनाओं के संचालन का प्रावधान है। ऐसे सहयोगात्मक कार्यक्रमों के तहत अंतर्गत जो क्रियाकलाप शामिल किए जा सकेंगे वे हैं– बागवानी सामग्री का आयात, अंतरर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं और अध्ययन दौरों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। यह सब एमआईडीएच के तत्वावधान में होगा। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के बागवानी व आधिकारिता विभाग के सालाना बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा जो कि मिशन के टीएसजी अनुषंग के तहत होगा। इस राशि का उपयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ करार के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सकेगा।

### मूल्यांकन व अन्य अध्ययन

8.8. बारहवीं योजना के अंत में अवधिमूलक मूल्यांकन किया जाएगा। उपयुक्त एजेंसी के सहयोग से संपूर्ण मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस तरह के अध्ययन के लिए परियोजना आधारित सहायता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार जरूरत पड़ने पर एमआईडीएच बागवानी के विभिन्न पहलुओं का अल्पावधि अध्ययन कराएगा। ये अध्ययन भी परियोजना आधारित होंगे। राष्ट्रीय मिशन द्वारा समय–समय पर विशेषज्ञों वाले निगरानी मिशनों को राज्यों में भेजा जाएगा। ऐस निगरानी कार्यक्रमों का आयोजन टीएसजी कार्यक्रमों के अंतर्गत किया जाएगा। राज्य भी राज्यस्तरीय टीएसजी अनुषंग के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए परियोजना आधारित अध्ययन करा सकेंगे।

## 9. राष्ट्रीय स्तर की एजेंसिंयों की भूमिका

9.1 **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनबीएच), गुड़गांव**

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उप–योजनाओं के रूप में करेगा **(अनुलग्नक–VII)**। बोर्ड एनएचएम और एनएचबी के लिए तकनीकी समर्थन के अलावा राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी सहयोग समूहों की सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही वह एनएचमएम और एनबीएम के क्रियान्वयन की दिशा में प्रशासनिक, तार्किक और कार्मिक सहयोग भी देगा। एनएचबी के बारे में विस्तृत ब्योरा इसकी वेबसाइट (www.nhb.gov.in) में उपलब्ध है।

**9.2. नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि**

नारियल विकास बोर्ड कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एमआईडीएच की उप–योजना के रूप में करेगा **(अनुलग्नक–VIII)**। यह नारियल से संबंधित कार्यक्रमों में टीएसजी के उपयोग की दिशा में भी कार्य करेगा। सीडीबी का विस्तृत ब्योरा इसकी वेबसाइट (www.coconutboard.nic.in) में उपलब्ध है।

**9.3. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), नई दिल्ली**

लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ (एसएफएसी) (www.sfacindia.com) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह कृषक संघों/समूहों के गठन और वित्तीय संस्थाओं से उनके गठजोड़ की दिशा में अग्रणी एजेंसी की भूमिका निभाएगी। यह एचएमएनईएच, सीआईएच और वीआईयूसी के लिए तकनीकी समर्थन समूह उपलब्ध कराने का भी काम करेगी।

**9.4. काजू एवं कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कोच्चि**

डीसीसीडी (www.dccd.gov.in) सुपारी और नारियल के अलावा अन्य बागान फसलों से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन, समन्वय और निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा। वह समय–समय पर काजू और कोको पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करेगा। **(अनुलग्नक–V)**।

**9.5. सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी), कालीकट**

डीएएसडी सुपारी, मसालों और सुगंधित पौधों के विकास की दिशा में किए जा रहे कार्यकलापों के क्रियान्वयन, समन्वय और निरीक्षण का उत्तरदायित्व निभाएगा। वह सुपारी, मसाले, सुगंधित व औषधीय पौधों पर समय–समय पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करेगा **(अनुलग्नक–V)** ।

**9.6. कृषि एवं बागवानी में प्लास्टीकल्चर के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति (एनसीपीएएच), नई दिल्ली**

एनसीपीएएच (www.ncpahindia.com) एसएचएम और विशिष्ट खेती विकास केंद्रों (पीएफडीसी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली सूक्ष्म खेती, विशिष्ट खेती और हाई–टेक बागवानी से संबंधित गतिविधियों के समन्वय व निरीक्षण का उत्तरदायित्व निभाएगा। **(अनुलग्नक–V)**।

**9.7. राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिश्ठान, नासिक**

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) नासिक (www.nhrdf.com) उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन और आपूर्ति सहित सब्जियों के विकास से संबंधित क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य करेगा **(अनुलग्नक–V)**।

**9.8. राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)**

राष्टीय मधुमक्खी बोर्ड (www.nbb.gov.in) मौन पालन से संबंधित कार्यक्रमों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के साथ–साथ इन्हें लागू करने का भी कार्य करेगा **(अनुलग्नक–V)**।

**9.9. राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली**

राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) (www.indiaseeds.com) बेहतर किस्म के बीजों और पौध सामग्री के उत्पादन और वितरण के लिए कार्यक्रम तैयार करने का काम करेगा **(अनुलग्नक–V)**।

**9.10. राष्ट्रीय नींबू प्रजाति अनुसंधान केंद्र, नागपुर**

राष्टीय नींबू प्रजाति अनुसंधान केंद्र, (एनआरसीसी) (www.nrccitrus.nic.in) नींबू प्रजाति तकनीकी मिशन से जुड़े उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा **(अनुलग्नक–V)**।

**9.11. भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली**

भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली उन्नत किस्म के बीजों और पौध सामग्री के विकास और आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाएगा **(अनुलग्नक–V)**।

**9.12. हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एचआईएल)**

एचआईएल (www.hil.gov.in) उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करेगा **(अनुलग्नक–V)**

**9.13. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद**

एमएएनएजीई (www.manage.gov.in) राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोतर व हिमालयी बागवानी मिशन के अंतर्गत एचआरडी से संबंधित प्रशिक्षण व फील्ड कर्मचारी कार्यक्रमों का जिम्मेदारी उठाएगा **(अनुलग्नक–V)**।

**9.14. फ्रेश एण्ड हैल्थी एंटरप्राइजेज (एफएचईएल), नई दिल्ली**

एफएचईएल (www.fhel.co.in) बागवानी उत्पादों के लिए समेकित शीतगृह भंडारण की दिशा में संभाव्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी लेगा और रेलवे से लंबी दूरी की ढुलाई का भी प्रबंध करेगा **(अनुलग्नक–V)**।

**9.15. कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), नई दिल्ली**

एपीईडीए (www.apeda.gov.in), वाणिज्य मंत्रालय बागवानी फसलों के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों के समन्वित विकास तथा बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमआइडीएच के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे।

**9.16. विपणन व निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), नई दिल्ली**

डीएमआई बागवानी फसलों के विपणन संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी करेगा तथा बाजार के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। (www.agmarket.gov.in)

**9.17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई), नई दिल्ली**

एमएफपीआई (www.mofpi.gov.in) एमआईडीएच द्वारा विकसित कलस्टरों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने में सहयोग देगा और खासकर एचएमएनईएच क्षेत्रों में तकनीकी समर्थन और सहायता देगा।

**9.18. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), नई दिल्ली।**

एनएमपीबी (www.nmpb.nic.in) एनएचएम के साथ समन्वय स्थापित कर औषधीय पौधों के विकास संबंधी योजनाओ को क्रियान्वित करेगा।

**9.19. केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नगालैंड**

सीआईएच तकनीक के निर्माण, हस्तांतरण और पूर्वात्तर क्षेत्र में उपलब्ध उन्नत उत्पादन तकनीक के विस्तार संबधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करेगा।

**9.20. राष्ट्रीय भीतगृह भंडारण विकास केंद्र (एनसीसीडी)**

एनसीसीडी (htpp://nccd.gov.in) देश में एकीकृत शीतगृह भंडारण के विकास के लिए नीति निर्देशन और मानकों के निर्धारण की दिशा में कार्य करेगा तथा फल, सब्जी व अन्य कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के साथ–साथ उद्योगों व अन्य शेयरधारकों से सहयोग से कार्य करेगा **(अनुलग्नक–V और अनुलग्नक–VII)**।

**9.21. राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), सोनीपत, हरियाणा**

एनआईएफटीईएम (www.miftem.ac.in) खाद्य मानकों के निर्धारण, ढ़ूष्मायन व्यवसाय, खाद्य तकनीक व उत्पादन संबधी जानकारियों के आदान–प्रदान और अन्य संबंधित संस्थानों के साथ संपर्क व समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा।

# अनुलग्नक– I

समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत धनराशि, कार्यक्रमों और पदाधिकारियों के प्रभावी हस्तांतरण का मानचित्रण

| ए–एमआईडीएच कोष | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **उप योजना घटक/ कोष प्रवाह** | **आवंटन (रुपया करोड़ में)** | **कार्यक्रमों के आधार पर सहभागिता आवंटन** | | | | | | **टिप्पणियां** |
| | | | **केंद्र सरकार** | **राज्य सरकार** | **स्थानीय प्रशासन** | | | **उपभोक्ता समूह/ नागरिक संघ** | |
| | | | | | **जिला पंचायत** | **माध्यमिक पंचायत** | **ग्राम पंचायत** | | |
| 1 | एनएचएम | वार्षिक बजट के मुताबिक | 85 फीसदी | 15 फीसदी | 0.50–1.00 फीसदी | | 0.50–1.00 फीसदी | | एचआरडी, एफपीओ संरचना के जरिए सामुदायिक टैंक और क्षमता निर्माण के लिए कोश |
| 2 | एचएमएनईएच | | 100 | - | | | | | |
| 3 | एनबीएम | | 100 | - | | | | | |
| 4 | एनएचबी | | 100 | - | | | | | चूकिं इस योजना का क्रियान्वयन सीधे लाभार्थियों द्वारा ही किया जाएगा, कोष के आवंटन राज्य सरकार के माध्यम से नहीं होगा, इसलिए इन तीनों उप योजनाओं में राज्य सरकार की सहभागिता बहुत सीमित होगी। |
| 5 | सीडीबी | | 100 | - | | | | | |
| 6 | सीआईएच | | 100 | - | | | | | |

## बी– एमआईडीएच कार्यक्रम

| क्रम संख्या | कार्यकलाप का विवरण<br>कार्यकलाप की श्रेणी | संघीय सरकार | राज्य सरकार | जिला आयोजना समिति | स्थानीय प्रशासन एवं आयोजना निकाय<br>पंचायती राज व्यवस्था | | | उपभोक्ता समूह, स्वयं सहायता समूह इत्यादि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | जिला पंचायत | माध्यमिक पंचायत | ग्राम पंचायत | |
| 1 | मानक निर्धारण | एमआईडीएच योजना के लिए दिशानिर्देश और परिव्यय प्रतिमान तैयार करना | जहां तक हो सके स्थानीय भाषा में दिशानिर्देश और प्रतिमानों का जिला स्तर पर प्रचार करना | एमआईडीएच के दिशानिर्देशों का प्रचार करना। | खंड एवं उसके नीचे के स्तर तक दिशानिर्देशो का प्रचार करना | | | |
| 2 | आयोजन | राज्य के बागवानी मिशन दस्तावेज (एसएचएमडी) और वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए ढांचा मुहैया कराना। | 1. अनुकूल आयोजन तैयार करना<br>2. राज्य के लिए बागवानी दस्तावेज तैयार करना<br>3. राज्य का वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना | जिला बागवानी मिशन दस्तावेज (डीएचएमडी) और जिला वार्षिक कार्ययोजना (डीएएपी) को सूत्रबद्ध करना और डीएचएमडी एवं डीएएपी को तैयार करने में मदद करना। | फसल एवं उससे जुड़े कार्यों के चयन में मदद करना। | | | |
| 3 | उपयोजनाओं एवं घटकों का क्रियान्वयन, उत्पादन एवं उत्पादकता संवर्धन कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, पीएचएम के लिए आधारभूत संचरना और एफपीओ इत्यादि के लिए विपणन को प्रतिपादित करना। | डीएसी के जरिए राज्यों और एजेंसियों को धनराशि जारी करना। | जिला एवं राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी करना। | जिले की जरूरतों के मुताबिक परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना। | जिले में कार्यक्रम के लिए स्थान और लाभार्थियों का चयन करना, विशेष परियोजनाओं को लागू करना। | | आवंटन के मुताबिक लाभार्थियों का चयन और खास परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। | कार्यक्रम से तैयार संपत्तियों की देखरेख करना। |

# अनुलग्नक– I

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन | 1. इंटरनेट युक्त प्रगति निगरानी प्रणाली के जरिए परियोजना की मासिक प्रगति की समीक्षा करना। 2. परियोजना का मध्यावधि प्रभाव का मूल्यांकन करना। राज्य सरकार– | 1. इंटरनेट के जरिए मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। 2. समवर्ती मूल्यांकन करना। | | 1. खास क्रियाकलापों की पंचायत स्तर पर तैयार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना। 2. राज्य सरकार को प्रतिपुष्टि मुहैया कराना। | | परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जिला पंचायत को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। | |

## सी. एमआईडीएच के पदाधिकारी

| क्रम संख्या | संघीय सरकार | राज्य सरकार | जिला आयोजन समिति | स्थानीय प्रशासन एवं आयोजन निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पंचायती राज व्यवस्था | | |
| | | | | जिला पंचायत | माध्यमिक पंचायत | ग्राम पंचायत |
| 1 | बागवानी प्रभाग के कर्मचारी, डीएसी | ए. राज्य बागवानी विभाग के कर्मचारी<br>बी. राज्य बागवानी मिषन के कर्मचारी<br>सी. राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों के कर्मचारी<br>डी. संविदा कर्मचारी | राज्य सरकार द्वारा गठित | एमआईडीएच के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले क्रियाकलापों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारियों को लगाया जाएगा | | एमआईडीएच के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले क्रियाकलापों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारियों को लगाया जाएगा। |

# अनुलग्नक– II

एमआईडीएच के अंतर्गत तकनीकी सहायता समूह की निर्देशात्मक संचरना

## ए– राष्ट्रीय स्तर

| क्रम संख्या | कर्मचारी | योग | मानदेय प्रतिमाह (रुपये में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य परामर्शदाता | 15 | 70,000 | |
| 2 | परामर्शदाता (आवश्यकतानुसार) | 5 | 3,000 | |
| 3 | संसाधन कर्मी | 4 | 30,000 | |
| 4 | वरिष्ठ क्रमादेशक | 3 | 42,000 | |
| 5 | स्टेनोग्राफर | 10 | 15,000 | दिल्ली सरकार/श्रम विभाग/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मानदेय से कम मानदेय नहीं होना चाहिए। |
| 6 | आंकड़ा प्रविष्टि संकारक | 10 | 15,000 | |
| 7 | एमटीएस | 10 | 12,000 | |

## बी– राज्य स्तरीय

| क्रम संख्या | कर्मचारी | योग | मानदेय प्रतिमाह (रुपये में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राज्य बागवानी/बांस परामर्शदाता | 31 | 50,000 | |
| 2 | बागवानी/बांस सहायक | 60 | 20,000 | |
| 3 | क्रमादेशक | 30 | 30,000 | राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मानदेय से कम मानदेय नहीं होना चाहिए। |
| 4 | आंकड़ा प्रविष्टि संकारक | 30 | 10,000 | |

## सी– जिला स्तरीय

| क्रम संख्या | कर्मचारी | योग | मानदेय प्रतिमाह (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला बागवानी/बांस परामर्शदाता | 400 | 30,000 |
| 2 | क्षेत्र परामर्शदाता | 2000 | 20,000 |

# अनुलग्नक– III

## एमआईडीएच योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन

*(एनएचएम, एचएमएनईएच, एनबीएम एवं सीआईएच की उप योजनाएं)*

### ए–कार्यकारिणी समिति के अधिकार

| क्रम संख्या | कार्यक्रम के घटक/श्रेणी | एमआईडीएच योजना के अनुसार लागत सीमा *(लाख रुपये में)* |
|---|---|---|
| 1 | अनुसंधान एवं विकास योजनाएं | प्रति योजना 50.00 से 100.00 तक |
| 2 | विपणन की आधारभूत संरचना | 99.00 से 15,000.00 तक |
| 3 | तटर्थ आपूर्ति प्रणाली, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत फसलोपरांत प्रबंधन आधारभूत ढांचा | 500.00 से ऊपर |
| 4 | आईएनएम/आईपीएम आधारभूत संचरना | 500.00 से ऊपर |
| 5 | विशिष्ट केंद्र | 500.00 से ऊपर |
| 6 | विशेष हस्तक्षेप | 100.00 से ऊपर |
| 7 | जरूरत के मुताबिक सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं अध्ययन के लिए विदेशी दौरे इत्यादि परियोजनाएं | प्रति परियोजना 50.00 से ऊपर |
| 8 | मिशन प्रबंधन/तकनीकी सहायता समूह, डाटा बेस, सर्वेक्षण, एफपीओ | 300.00 से ऊपर |
| 9 | उपरोक्त में शामिल नहीं किए गए अन्य घटक | परियोजना आधारित लागत सीमा |

### बी– अधिकार प्राप्त निगरानी समिति (ईएमसी) द्वारा

| क्रम संख्या | कार्यक्रम के घटक/श्रेणी | एमआईडीएच योजना के अनुसार लागत सीमा *(लाख रुपये में)* |
|---|---|---|
| 1 | अनुसंधान एवं विकास | 50.00/परियोजना |
| 2 | रोपण सामग्री के लिए आधारभूत संरचना (उच्चतकनीक पौधशाला, टीसी इकाई, बीज सामग्री, रोपण सामग्री का आयात) | 25.00 से 250.00 तक |
| 3 | जैविक खेती, प्रमाणन एवं जीएपी | 200.00 से अधिक |
| 4 | आईएनएम/आईपीएम आधारभूत संरचना | 50.00 से 500.00 तक |
| 5 | शीत चेन आपूर्ति व्यवस्था, प्रसंस्करण, फसल के बंडल के परिवहन संबंधी परियोजना, पक्वन एवं सहयोगी तकनीकी उपकरणों समेत फसलोपरांत प्रबंधन आधारभूत ढांचा | 200.00 से अधिक और 500.00 तक |
| 6 | विपणन आधारभूत ढांचा | 25.00 से ज्यादा और 99.00 तक |
| 7 | उत्कर्ष केंद्र | 500.00 तक |
| 8 | विशेष हस्तक्षेप | 100.00 तक |
| 9 | जरूरत के मुताबिक सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं अध्ययन के लिए विदेशी दौरे इत्यादि परियोजनाएं | प्रति परियोजना 20.00 से लेकर 50.00 से तक |
| 10 | मिशन प्रबंधन/टीएसजी, डाटा बेस, सर्वेक्षण, एफपीओ | 300.00 तक |

## सी– मिशन निदेशक द्वारा (एमआईडीएच)

| क्रम संख्या | कार्यक्रम के घटक/श्रेणी | एमआईडीएच योजना के अनुसार लागत सीमा *(लाख रुपये में)* |
|---|---|---|
| 1 | यदि **अनुलग्नक–V/VI** में उल्लिखित प्रतिमानों पर आधारित लागत हो | 10.00 तक |

## डी– राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (एसएलईसी) द्वारा

| क्रम संख्या | कार्यक्रम के घटक/श्रेणी | एमआईडीएच योजना के अनुसार लागत सीमा *(लाख रुपये में)* |
|---|---|---|
| 1 | रोपण सामग्री आधारभूत ढांचा (उच्च तकनीकी पौधशाला, टीसी इकाई, बीज आधारभूत ढांचा) | 25.00 तक |
| 2 | मशरूम | 20.00 तक |
| 3 | संरक्षित जुताई | 70.00 तक |
| 4 | जैविक खेती, प्रमाणन एवं जीएपी | 200.00 तक |
| 5 | आईएनएम/आईपीएम आधारभूत ढांचा | 50.00 तक |
| 6 | बागवानी यंत्रीकरण | 7.00 तक |
| 7 | मानव संसाधन विकास | 20.00 तक |
| 8 | प्रदर्शन | 25.00 तक |
| 9 | शीत चेन आपूर्ति व्यवस्था, प्रसंस्करण, फसल के बंडल के परिवहन संबंधी परियोजना, पक्वन एवं सहयोगी तकनीकी उपकरणों समेत फसलोपरांत प्रबंधन आधारभूत ढांचा | 200.00 तक |
| 10 | विपणन आधारभूत ढांचा | 25.00 तक |
| 11 | आवश्यकतानुसार परियोजना (सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी) | 20.00 तक प्रति परियोजना |

## ई– राज्य मिशन निदेशक, एसएचएम/एचएमएनईएच/एनबीएम द्वारा

| क्रम संख्या | कार्यक्रम के घटक/श्रेणी | एमआईडीएच योजना के अनुसार लागत सीमा *(लाख रुपये में)* |
|---|---|---|
| 1 | अगर लागत **अनुलग्नक–V और VI** में उल्लिखित प्रतिमानों के मुताबिक हो तो राज्य मिशन निदेशकों द्वारा | 5.00 तक |

एनएचबी और सीडीबी परियोजनाओं की मंजूरी इनके बोर्ड से संबंधित समितियों द्वारा दी जाएगी।

# अनुलग्नक– IV (ए)

## एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम/एचएमएनईएच उप योजनाओं के लिए जमा किए जाने वाली कार्ययोजना का प्रारूप

राज्य का नाम–
उप योजना का नाम–
कार्ययोजना का वर्ष–
संक्षिप्त संकेतक–

**क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता (एएपी) (वर्ष 200)***

| क्रम संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| | | | | |

*कार्ययोजना का सारांश ('राज्य में प्रत्येक जिले के लिए यह एएपी के डाटा पर आधारित होना चाहिए)

कार्ययोजना का सारांश

| वित्तीय | | (लाख रुपये में) | | |
|---|---|---|---|---|

| कायिकः (गणनात्मक प्रमुख उत्पादन) वार्षिक | | | |
|---|---|---|---|

# अनुलग्नक– IV (ए) (जारी)

## प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत कार्ययोजना का प्रारूप

**विवरण**

### 1. पूर्वपीठिका सूचना

1.1 भूगोल एवं जलवायु

1.2 बागवानी की संभावना

1.3 भूमि उपलब्धता

1.4 क्षमता, दुर्बलता, अवसर एवं चुनौतियों (एसडब्लूवोसी) का विश्लेषण

1.5 गुणवत्ता एवं प्रत्यायन सुनिश्चित करने के तरीकों के साथ बागवानी सामग्रियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता की उप पौधशाला योजना

### 2. परियोजना का वर्णन

2.1 लक्ष्य, योजना एवं खाका

2.2 क्रियान्वयन एजेंसी, संपर्क सूत्र, फोन नंबर और ईमेल

2.3 वार्षिक कार्ययोजना के प्रमुख पक्ष

2.4 सहयोगी आधारभूत ढांचा समेत बागवानी विकास

2.5 अनुसंधान एवं विकास

2.6 फसलोपरांत आधारभूत ढांचा एवं प्रबंधन

2.7 बागवानी सामग्रियों का उत्पादन

2.8 नए बागों का विकास/क्षेत्र विस्तार

2.8.1 फल (बारहमासी) (ए) बिना संघटन वाले (बी) संघटन वाले

2.8.2 फल (मौसमी) (ए) बिना संघटन वाले (बी) संघटन वाले

2.8.3 मसाले एवं सुगंधित पौधे (ए) बिना संघटन वाले (बी) संघटन वाले

2.8.4 फूल(ए) बिना संघटन वाले (बी) संघटन वाले

2.8.5 बागवानी वाले पौधे (ए) बिना संघटन वाले (बी) संघटन वाले

2.8.6 बांस(ए) वन क्षेत्र/सार्वजनिक भूमि (बी) मैदानी क्षेत्र

2.9 जराग्रस्त बागान का नवीकरण/प्रतिस्थापन/संवर्धन एवं विद्यमान भंडार (बांस)

2.10 संरक्षित खेती

2.11 आईएनएम/आईपीएम का संवर्धन

2.12 प्रमाणन के साथ जैविक खेती

2.13 जल स्रोतों का निर्माण

2.14 बागवानी में मानव संसाधन विकास

2.15 फसलोपरांत प्रबंधन आधारभूत ढांचा

2.16 विपणन आधारभूत ढांचा

3. मिशन प्रबंधन

3.1 तकनीकी सहायता समूह

3.2 ईपीए का संवर्धन

3.3 आधार रेखा सर्वेक्षण

4. परिशिष्ट

- राज्य और जिले में पौधशालाओं, टीसी इकाइयों, बीज आधारभूत ढांचा, आईएनएम/आईपीएम आधारभूत ढांचा, पैक हाउस, अवशीत इकाई, शीतवाहन, पक्कवन घर, शीत गृह, बाजार, प्रसंस्करण इकाई इत्यादि जैसी विद्यमान आधारभूत सुविधाओं का क्षेत्रवार ब्योरा एवं संभावित इलाके की जानकारी और आधारभूत ढाचों के विकास के लिए संभावित क्षेत्र का मानचित्र।
- वर्ष 2004–05 के बाद से प्रमुख बागवानी पौधों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की जिला स्तरीय विवरण।
- चिन्हित क्षेत्र और फसलों की क्रमबद्ध जिला स्तरीय जानकारी।
- चिन्हित संस्थानों/एजेंसियों के साथ तकनीकी सहयोग।

# अनुलग्नक– IV (बी)

एनबीएम योजना के लिए जमा किए जाने वाले वार्षिक कार्ययोजना का प्रारूप

राज्य ............................................................................ वर्ष

| क्रम संख्या | घटक | अनुमानित लागत | प्रस्तावित लक्ष्य | |
|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या | वित्त (लाख रुपये में) |
| 1 | सरकारी क्षेत्र में उच्च तकनीकी पौधशालाएं (संख्या) | | | |
| 2 | निजी क्षेत्र में उच्च तकनीकी पौधशालाएं (संख्या) | | | |
| 3 | सरकारी क्षेत्र में लघु पौधशालाए (संख्या) | | | |
| 4 | निजी क्षेत्र में लघु पौधशालाए (संख्या) | | | |
| 5 | सरकारी क्षेत्र में विद्यमान टीसी इकाइयों का पुर्नस्थापना (संख्या) | | | |
| 6 | निजी क्षेत्र में विद्यमान टीसी इकाइयों का पुर्नस्थापना (संख्या) | | | |
| 7 | वन क्षेत्र/सरकारी जमीन पर पौधारोपण (जेएफएमसी/पंचायती राज संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला समूहों इत्यादि के माध्यम से) (हेक्टेयर में) | | | |
| 8 | गैर वन क्षेत्र में पौधारोपण (हेक्टेयर में) | | | |
| 9 | वन क्षेत्र में 2013–14 तक बागान का रखरखाव | | | |
| 10 | गैर वन क्षेत्र में 2013–14 में बागान का रखरखाव | | | |
| 11 | सरकारी गैर वन क्षेत्र में 2013–14 में बागान का रखरखाव | | | |
| 12 | वन क्षेत्रध्सरकारी जमीन पर 2014–15 में बागान का रखरखाव | | | |
| | पहले वर्ष 25 प्रतिशत | | | |
| | दूसरे वर्ष 25 प्रतिशत | | | |
| 13 | गैर वन क्षेत्र में 2015–16 में बागान का रखरखाव | | | |
| | पहले वर्ष 25 प्रतिशत | | | |
| | दूसरे वर्ष 25 प्रतिशत | | | |
| 14 | विद्यमान बागान में सुधार (हेक्टेयर में) | | | |
| 15 | हस्तांतरण तकनीक एवं मानव संसाधन विकास | | | |
| | ए. किसानों को प्रशिक्षण (संख्या) | | | |
| | (i) राज्य के अंदर | | | |
| | (ii) राज्य के बाहर | | | |
| | बी. क्षेत्र पदाधिकारियों/कारीगरों को प्रशिक्षण (संख्या) | | | |
| | (i) राज्य के अंदर | | | |
| | (ii) प्रगतिशील राज्यों/इकाइयों में अध्ययन दौरा (कम से कम पांच भागीदार होने चाहिए) | | | |
| | सी. तकनीक का प्रदर्शन (संख्या) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | डी. कार्यशाला / सेमिनार / प्रशिक्षण | | | |
| | (i) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर | | | |
| | (ii) राष्ट्रीय स्तर पर | | | |
| | (iii) राज्य स्तर पर | | | |
| 16. | कीट नाशक एवं रोग प्रबंधन (हेक्टेयर में) | | | |
| 17 | जल स्रोतों का निर्माण (इकाई में) | | | |
| | (i) सामुदयिक टंकियां / खेतों में तालाब / खेतों में प्लास्टिक या आरसीसी मेढ़ वाले जलाशय | | | |
| | (ii) 20 मीटर • 20 मीटर • 3 मीटर के तालाबों और कुओं में व्यक्तिगत लोगों के लिए जल संचय प्रणाली 100 रुपये प्रति घन मीटर की दर से | | | |
| 18. | समेकित फसलोपरांत प्रबंधन | | | |
| | (i) बांस के लिए फसलोपरांत भंडारण एवं रखरखाव सुविधाएं (संख्या) | | | |
| 19. | विपणन आधारभूत संरचना की स्थापना | | | |
| | (i) गांवों के पास बांस के थोक और खुदरा बाजार (संख्या) | | | |
| | (ii) बांस के बाजार (संख्या) | | | |
| | (iii) खुदरा दुकानें (शोरूम) (संख्या) | | | |
| | (iv) गांवों के आस पास खुदरा दुकानें (शोरूम) (संख्या) | | | |
| | (v) घरेलू व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों इत्यादि में भागीदारी | | | |
| 20. | अभिनव कार्यक्रम | | | |
| 21. | निगरानी प्रक्रिया का क्रियान्वयन | | | |
| | (i) निगरानी एवं मूल्यांकन | | | |
| | (ii) बांस तकनीकी समर्थन समूह | | | |
| | (iii) रंगीन पुस्तिका एवं पर्चे | | | |
| | (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स / दिव्य–श्रव्य मीडिया / समाचार पत्रों के जरिए प्रचार अभियान | | | |
| | (v) डाटाबेस निर्माण एवं प्रबंधन (सूचना, इन्टरनेट आधारित टाडाबेस) | | | |
| | (vi) आधार लाइन सर्वेक्षण | | | |
| 22. | मिशन प्रबंधन एवं प्रशासनिक लागत | | | |
| | **कुल योग** | | | |

# अनुलग्नक– V

एनएचएम और एचएमएनईएच उप योजना के लिए 12वीं योजना के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत लागत मानदण्ड एवं सहायता का प्रतिमान

| क्रम संख्या | मद | लागत मानदण्ड | सहायता का प्रतिमान |
|---|---|---|---|
| ए | अनुसंधान | | आईसीएआर, सीएसआईआर, एसएयू के अंतर्गत केंद्र सरकार के संस्थान, राष्ट्रीय स्तर की सरकारी एजेंसियां और अन्य स्थान विशेष के संस्थान आवश्यकता के मुताबिक निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों की शुरूआत–<br>i. रोपण सामग्री के आयात समेत बीज एवं रोपण सामग्री<br>ii. तकनीकी मानकीकरण एवं<br>iii. तकनीकी अधिग्रहण और<br>iv.100 फीसदी मदद के साथ परियोजना के मुताबिक प्रशिक्षण एवं एफएलडी |
| बी | रोपण आधारभूत संरचना विकास | | |
| | | | |
| | | | आनुपातिक आधार पर परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत जो कि 100 लाख रुपये प्रति इकाई तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी लागत की 40 फीसदी जो की अधिकत 40 रुपये प्रति इकाई तक सीमित होगी। प्रत्येक बागान प्रतिवर्ष एक हेक्टेयर में न्यूनतम 50 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल/पौधे/रोपण लायक पौधों का उत्पादन। |
| | | | आनुपातिक आधार पर परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत के आधार पर ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी जो कि अधिकतम 7.50 लाख तक होगी। प्रत्येक बागान प्रतिवर्ष एक हेक्टेयर में न्यूनतम 25 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल/पौधे/रोपण लायक पौधों का उत्पादन । |
| | iii) प्रामाणिक प्रतिमानों के अनुरूप बागान के आधारभूत संरचना को उन्नत बनाना. | रुपये 10.00 लाख/4 हेक्टेयर बागान | सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 5.00 लाख प्रति बागान। आधारभूत संरचना में विसंक्रमण, कार्यशाला शेड, (रसदार फलों एवं सेब के लिए) जीवाणु सूचकांक सुविधा, कठोरीकरण कक्ष/जालीदार घर, अंधेरी कोठरी, पौधशाला की स्थापना, सिंचाई एवं निशेचन सुविधा प्रति इकाई। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | iv) विद्यमान ऊतक संवर्धन (टीसी) इकाइयों का सुदृढ़ीकरण | रुपये 20.00 लाख/इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सहायता। |
| | v) नए ऊतक संवर्धन (टीसी) इकाई की स्थापना | रुपये 250.00 लाख/इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत के आधार पर 40 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सहायता। प्रत्येक ऊतक संवर्धन इकाई को प्रतिवर्ष अधिदेशित फसल की न्यूनतम 25 लाख पौधे तैयार करने होंगे, जिसका का व्यावसायिक इस्तेमाल हो सके। |
| | vi) मसाले और सब्जियों के लिए बीज उत्पादन | | |
| | ए) अनावृत पराग सिंचित फसल | रुपये 35000.00/हेक्टेयर | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के लिए मैदानी इलाके में 35 प्रतिशत और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में 50 प्रतिशत तक अधिकतम 5 हेक्येटर क्षेत्र के लिए। हर राज्य अपने हिसाब से प्रत्येक फसल के लिए बीज उत्पादन का लक्ष्य तय करेंगे। |
| | बी) संकर (हाईब्रिड) बीज | रुपये 1.50/हेक्टेयर | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के लिए मैदानी इलाके में 35 प्रतिशत और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में 50 प्रतिशत तक अधिकतम 5 हेक्येटर क्षेत्र के लिए। हर राज्य धनराशि जारी करने से पहले लाभार्थियों के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए बीज उत्पादन का लक्ष्य तय करेंगे। |
| | vii) रोपण सामग्री का आयात | रुपये 100.00लाख | परियोजना पर आधारित कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लागत का 100 फीसदी |
| | viii) बीज आधारभूत संरचना (बागान फसलों के संवर्धन के लिए बीज सामग्री के तौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले बीजों के रखरखाव, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण इत्यादि के लिए) | रुपये 200.00 लाख | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत, निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सहायता के रूप में। |
| **बी–2** | **नए बागानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार–प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर हेतु)** | | |
| | **I. फल** | | |
| | **(ए)** लागत प्रधान फसलें | | |
| | i) अंगूर, कीवी, पैशन फ्रूट इत्यादि | | |
| | ए) टपक सिंचाई और जाल समेत समेकित पैकेज | रुपये 4.00लाख/हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम और जाल लगाने, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराशि को पूरा करने के लिए अधिकतम 1.60 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत), यह मदद फसलों के दूसरे साल में 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बचे रहने की स्थिति में तीन किश्तों 60:20:20 के आधार पर । |

## अनुलग्नक– V

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम और जाल लगाने, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराशि को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत), मदद फसलों के दूसरे साल में 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बचे रहने की स्थिति में तीन किश्तों 60:20:20 के आधार पर।<br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत की 50 प्रतिशत सहायता। |
| | ii) स्ट्राबेरी | | |
| | ए) टपक सिंचाई और आच्छादन समेत समेकित पैकेज | रुपये 2.80 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम और पतवार से आच्छादन, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराशि को पूरा करने के लिए अधिकतम 1.12 लाख/ हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) एक किश्त में। |
| | बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम और पतवार से आच्छादन, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराशि को पूरा करने के लिए एक अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) एक किश्त में।<br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत की 50 प्रतिशत सहायता। |
| | iii) केला (अंतर्भूस्तरी) | | |
| | ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 2.00 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | बी) गैर समेकित | रुपये 87,500/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.35 हजार/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में ।<br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडनमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत मदद दो किश्तों में। |
| | iv) अनानास (अंतर्भूस्तरी) | | |
| | ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 3.00 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 1.20 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बी) गैर समेकित | रुपये 87,500/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.35 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत मदद 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | v) केला (टीसी) | | |
| | ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 3.00 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 1.20 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत मदद 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | vi) अनानास (टीसी) | | |
| | ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 5.50 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 2.20 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत मदद 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | vii) पपीता | | |
| | ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 2.00 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बी) गैर समेकित | रुपये 0.60 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.30 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 50 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत मदद 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | viii) अति उच्च घनत्व वाले पौधे (मीडो आरचर्ड) | | |
| | ए) झरना सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 2.00 लाख/ हेक्टेयर | छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में। यह मदद दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बने रहने पर। |
| | बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत)।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में। |
| | ix) उच्च घनत्व वाले पौधे (आम, अमरूद, लीची, अनार, सेब, नीबू इत्यादि) | | |
| | ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 1.50 लाख/ हेक्टेयर | छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.60 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में। यह मदद दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बने रहने के आधार पर। |
| | बी) गैर समेकित | रुपये 1.00 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत)।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में दी जाएगी। यह मदद दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बनें रहने के आधार पर। |
| | **बी)** लागत प्रधान फसलों के अतिरिक्त फल फसलें | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | i) सामान्य दूरी पर लगाए जाने वाले लागत प्रधान फसलों के अतिरिक्त फल फसलें | | |
| | ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 1.00 लाख/ हेक्टेयर | छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत)। दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बने रहने की स्थिति में बारहमासी फलों के लिए यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में और गैर बारहमासी फलों के लिए यह मदद 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में। |
| | बी) गैर समेकित | रुपये 0.60 लाख/ हेक्टेयर | सभी राज्यों में तीन किश्तों में आईएनएम/आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.30 लाख/हेक्टेयर की मदद (लागत का 50 प्रतिशत) दी जाएगी।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से मदद तीन किश्तों में। |
| | **II. सब्जी (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु)** | | |
| | i) संकर (हाईब्रिड) | रुपये 50,000/ हेक्टेयर | सामान्य क्षेत्र में लागत का 40 प्रतिशत और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से मदद। |
| | **III. मशरूम** | | |
| | i) उत्पादन इकाई | रुपये 20 लाख/ इकाई | आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिशत की मदद। |
| | ii) कवक निर्माण इकाई | रुपये 15 लाख/ इकाई | आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिशत की मदद। |
| | iii) खाद निर्माण इकाई | रुपये 20 लाख/ इकाई | आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिशत की मदद। |
| | **IV. फूल (प्रति लाभर्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु)** | | |
| | i) कटे फूल | रुपये 1.00 लाख/ हेक्टेयर | सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत की मदद। पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत की मदद। |

# अनुलग्नक– V

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ii) कंदीय फूल | रुपये 1.50 लाख/ हेक्टेयर | सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत की मदद। पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत की मदद। |
| | iii) खुले फूल | रुपये 0.40 लाख/ हेक्टेयर | सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत की मदद। पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत की मदद। |
| | **V. मसाले (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु)** | | |
| | i) बीज मसाला और प्रकंदी मसाले | रुपये 30,000/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय होने वाली धनराशि के लिए अधिकतम 12000रू/हेक्टेयर (लागत का 40 प्रतिशत) की मदद। |
| | ii) बारहमासी मसाले (काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल इत्यादि) | रुपये 50,000/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 20,000 रुपये की मदद।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त i) और ii) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से मदद। |
| | **VI. सुगंधित पौधे (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु)** | | |
| | i) लागत आधारित सुगंधित पौधे (पचौली, जिरेनियम, गुलाब) | रुपये 1.00 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 40,000 रुपये की मदद। |
| | ii) अन्य सुगंधित पौधे | रुपये 40,000.00/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 16,000 रुपये की मदद।<br><br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त i) और ii) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से मदद। |
| | **VII. बागान फसलें (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु)** | | |
| | i) काजू एवं कोको | | |
| | ए) टपक सिंचाई समेत समेकित पैकेज | रुपये 1.00 लाख/ हेक्टेयर | आईएनएम/आईपीएम, टपक सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 40,000 रुपये की मदद। दूसरे साल में 50 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत पौधों के बने रहने की स्थिति में यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बी) गैर समेकित– | रुपये 50,000 / हेक्टेयर | आईएनएम / आईपीएम, टपक सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 20,000 रुपये की मदद। दूसरे साल में 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत पौधों के बने रहने की स्थिति में यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में।<br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त i) और ii) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से तीन किश्तों में। |
| **बी–3** | **जीर्ण बागानों का पुनरुद्धारध्प्रतिस्थापन** | रुपये 40,000 / हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी दो हेक्येटर क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 20,000 रुपये तक की मदद। |
| **बी–4** | **जल स्रोतों का सृजन** | | |
| | i) प्लास्टिक / कंकरीट के इस्तेमाल से सामुदायिक टंकी / खेतों में तालाब / जलाशय का सृजन | मैदानी क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 लाख / इकाई | सामुदायिक / किसान समूह के मालिकाना हक वाले या संचालित किए जाने वाले 10 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता वाले 100X100X03 मीटर के तालाब या सिंचित क्षमता के अनुपात में इससे छोटे तालाबों के निर्माण के लिए लागत का 100 फीसदी की मदद। ऐसे तालाब का निर्माण कम से कम 500 माइक्रोन के प्लास्टिक की झिल्ली या कंकरीट का इस्तेमाल।<br>बिना किसी निर्धारित आकार वाले तालाब (काली कपास मृदा क्षेत्र हेतु) के लिए 30 प्रतिशत कम मदद दी जाएगी, जो प्लास्टिक या कंकरीट की दीवार के लिए ही होगी। परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को तालाब या जलाशय के निर्माण पर आने वाली पूरी लागत मदद के रूप में। |
| | ii) व्यक्तिगत हेतु जल संचयन प्रणाली– (20X20X03 मीटर क्षेत्रफल वाले तालाब / नलकूप / कुएं हेतु 125 रुपये / घनमीटर की दर से) | मैदानी क्षेत्रों में रुपये 1.50 / इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.80 लाख / इकाई। | 300 माइक्रोन की प्लास्टिक / कंकरीट की लाइनिंग समेत लागत का 50 प्रतिशत। गैर लाइनिंग तालाब / टंकी (काली कपास मृदा क्षेत्र हेतु) के लिए सहायता राशि 30 प्रतिशत कम होगी। छोटे आकार वाले तालाब / नलकूपों के लिए उनके सिंचित क्षमता के अनुपात में सहायता राशि होगी। इसका रखरखाव लाभार्थियों द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा। |
| **बी–5** | **संरक्षित खेती** | | |
| | | | |

## अनुलग्नक– V

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ए) पंखा एवं पैड प्रणाली | मैदानी क्षेत्रों के लिए 1650 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए), 1465 रुपये/वर्ग मीटर (500 से अधिक से 1008 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए ), 1420 रुपये/ वर्ग मीटर (1008 वर्ग मीटर से अधिक से 2080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए), 1400 रुपये/ वर्ग मीटर (2080 वर्ग मीटर से अधिक और 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए)। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपरोक्त सभी दर 15 प्रतिशत अधिक होंगे। | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत। |
| | बी) प्राकृतिक वातायन प्रणाली | | |
| | i) नलाकार ढांचा | 1060रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए), 935 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर से अधिक और 1008 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक), 890 रुपये/ वर्ग मीटर (1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के लिए), 844 रुपये/ वर्ग मीटर (2080 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए)। पहाड़ी क्षेत्रों में उपरोक्त दर 15 प्रतिशत अधिक होगा। | प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ii) लकड़ी का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 540 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 621 रुपये/वर्ग मीटर। | अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत प्रत्येक लाभार्थी (हर एक इकाई 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए) |
| | iii) बांस का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 450 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 518 रुपये/वर्ग मीटर | अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत प्रत्येक लाभार्थी (हर एक इकाई 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए) |
| | 2. छायादार जाली गृह | | |
| | ए) नलाकार ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 710 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 816 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिशत। |
| | बी) लकड़ी का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 492 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 566 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत (एक इकाई अधिकतम 200 वर्ग मीटर) |
| | सी) बांस का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 360 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 414 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत (एक इकाई अधिकतम 200 वर्ग मीटर) |
| | 3. प्लास्टिक की सुरंग | मैदानी क्षेत्रों के लिए 60रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 1000 वर्ग मीटर तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिशत। |
| | 4. बड़ी सुरंग (वॉक इन टनल) | 600 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 5 इकाई तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 800 वर्ग मीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए) |
| | 5. पक्षी रोधी/वृष्टि रोधी जाली | 35 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 5000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत |
| | 6. पॉली गृह में उगाई गई उच्च कोटि की सब्जियों की खेती और रोपण सामग्री की लागत | 140 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत |
| | 7. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत ऑर्किड/एंथूरियम की खेती व रोपण सामग्री की लागत | 700 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत |

# अनुलग्नक– V

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 610 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत |
| | | 426 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत |
| | 10. प्लास्टिक की पलवार (मल्चिंग) | मैदानी क्षेत्रों के लिए 32,000 रुपये/ हेक्टेयर और मैदानी क्षेत्रों के लिए 36,800 रुपये/हेक्टेयर | प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 2 वर्ग हेक्टेयर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत |
| **बी–6** | **सुनिश्चित कृषि विकास केंद्रों (पीएफडीसी) के जरिए सुनिश्चित कृषि विकास एवं विस्तार** | परियोजना के आधार पर | पीएफडीसी की लागत का 100 प्रतिशत |
| **बी–7** | **समेकित पोषण प्रबंधन (आईएनएम)/समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) का संवर्धन** | | |
| | i) आईएनएम/आईपीएम का संवर्धन | 4000 रुपये/हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत का 30 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 1200 रुपये/हेक्टेयर |
| | ii) रोग पूर्वानुमान इकाई (पीएसयू) | 6.00 लाख रुपये/ इकाई | लागत का 100 फीसदी |
| | iii) जैव नियंत्रण प्रयोगशाला | 90.00 लाख रुपये/ इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी। |
| | iv) पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक | 25.00 लाख रुपये/ इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी। |
| | v) पत्ती/टिशू विश्लेषण प्रयोगशाला | 25.00 लाख रुपये/ इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी। |
| **बी–8** | **जैविक खेती** | | |
| | i) जैविक खेती को अपनाना | 20,000 रुपये/ हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत, जो 10,000 रुपये/हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होगा। यह सहायता धनराशि तीन वर्षों में क्रमशः पहले वर्ष 4000 रुपये, दूसरे और तीसरे वर्ष 3000 रुपये के रूप में दी जाएगी। यह कार्यक्रम प्रमाणीकरण से संबद्ध होगा। |
| | ii) जैविक प्रमाणीकरण | परियोजना आधारित | 50 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये। यह धनराशि पहले वर्ष में 1.50 लाख, दूसरे वर्ष में 1.50 लाख और तीसरे वर्ष में 2.00 लाख रुपये के रूप में दी जाएगी। |
| | iii) वर्मी खाद इकाई/जैविक आदान उत्पादन | स्थायी ढांचे हेतु 100,000 रुपये/इकाई और एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 16,000 रुपये/इकाई | स्थायी ढांचे के लिए 30X8 X2.5 फीट आयाम की इकाई के निर्माण के अनुपात में लागत का 50 प्रतिशत। एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 96 घन फीट (12'X4'X2') इकाई और आईएस 15907 रू 2010 के अनुपात में लागत का 50 प्रतिशत। |
| **बी–9** | **ढांचा समेत बेहतर कृषि कार्यों (जीएपी) का प्रमाणीकरण** | 10,000/हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत |
| **बी–10** | **बागवानी दक्षता केंद्र** | 1000.00 लाख/केंद्र | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत। ऐसे केंद्र द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **बी–11** | **मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण का बढ़ाना** | | |
| | i) न्यूक्लियस स्टाक का उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र) | 20.00 लाख | लागत का 100 प्रतिशत |
| | ii) मधुमक्खी प्रजनक द्वारा मधुमक्खी छत्ते का निर्माण | 10.00 लाख | प्रतिवर्ष कम से कम 2000 छत्तों के निर्माण के लिए लागत का 40 प्रतिशत |
| | iii) मधुमक्खी के छत्ते | 8 फ्रेम वाले प्रति छत्ता 2000 रुपये | प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते के लिए लागत का 40 प्रतिशत |
| | iv) मधुमक्खी–पेटिका | 2000 रुपये / पेटिका | प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते के लिए लागत का 40 प्रतिशत |
| | v) शहद निकालने वाले (4 फ्रेम) फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलोग्राम), जाली समेत मधुमक्खी पालन सेट | 20,000 रुपये / सेट | प्रति लाभार्थी एक सेट के लिए लागत का 40 प्रतिशत। |
| **बी–12** | **बागवानी यंत्रीकरण** | | |
| | i) ट्रैक्टर (20 पीटीओ हॉर्स पॉवर) | 3.00 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 75000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 35 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 1.00 लाख रुपये / इकाई। |
| | ii) पावर टिलर | | |
| | ए) पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) | 1.00 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 40000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये / इकाई। |
| | बी) पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक) | 1.50 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 60,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 75,000 रुपये / इकाई। |
| | iii) ट्रैक्टर / पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) / उपकरण | | |
| | ए) भूमि विकास, जुताई और रोपाई करने वाले उपकरण | 0.30 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 15,000 रुपये / इकाई। |
| | बी) बुआई, रोपाई और खुदाई के उपकरण | 0.30 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 15,000 रुपये / इकाई। |
| | सी) प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण | 0.70 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 28,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 35,000 रुपये / इकाई। |

# अनुलग्नक– V

| | | | |
|---|---|---|---|
| | iv) स्वचालित बागवानी यंत्र | 2.50 लाख/इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपये/इकाई। |
| | v) पौध संरक्षण उपकरण | | |
| | ए) हस्तचालित स्प्रेयरः | | |
| | i) नेपसैक/पांव से चलाए जाने वाला स्प्रेयर | 0.012 लाख/इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतमे 0.005 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.006 लाख रुपये/इकाई। |
| | बी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 8–12 लीटर) | 0.062 लाख/इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.025 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.031 लाख रुपये/इकाई। |
| | सी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 12–16 लीटर) | 0.076 लाख/इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.03 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.038 लाख रुपये/इकाई। |
| | डी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक) | 0.20 लाख/इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 लाख रुपये/इकाई। |
| | ई) ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम) विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर | 0.20 लाख/इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 लाख रुपये/इकाई। |
| | एफ) ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक) विद्युत इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर | 1.26 लाख/इकाई | लागत का 40 प्रतिशत, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह अधिकतम 0.50 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत, 0.63 लाख रुपये/इकाई। |
| | जी) इको– फ्रेंडली लाइट ट्रैप (35 बीएचपी से अधिक) | 0.028 लाख/इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह अधिकतम रुपये 0.012 लाख/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत, 0.014 लाख रुपये/इकाई। |
| | vi) प्रदर्शनी के लिए बागवानी के नए यंत्रों एवं उपकरणों का आयात (सार्वजनिक क्षेत्र) | 50.00 लाख/इकाई | कुल लागत का 100 प्रतिशत |
| **बी–13** | **प्रदर्शन/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के जरिए तकनीक का प्रचार–प्रसार** | 25.00 लाख | किसानों के खेतों के लिए लागत का 75 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र, एसएयू इत्यादि के फॉर्म के लिए लागत का 100 प्रतिशत। |
| **बी–14** | **मानव संसाधन विकास (एचआरडी)** | | |
| | i) पर्यवेक्षकों एवं उद्यमियों के लिए एचआरडी | 20 लाख/इकाई | साल लागत का 100 प्रतिशत। आगे के वर्षों में आधारभूत ढांचे पर आने वाली लागत के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा। |
| | | | लागत का 100 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | iii) किसानों को प्रशिक्षण | | |
| | ए) राज्य के अंतर्गत | आने जाने के खर्च को मिलकर 1000 रुपये/किसान प्रतिदिन | लागत का 100 प्रतिशत |
| | बी) राज्य के बाहर | परियोजना आधारित वास्तविक खर्च | लागत का 100 प्रतिशत |
| | iv) किसानों का प्रभावन दौरा | | |
| | ए) राज्य के बाहर | परियोजना आधारित वास्तविक खर्च | लागत का 100 प्रतिशत |
| | बी) भारत के बाहर | 4 लाख/सहभागी | परियोजना आधारित। हवाई/रेल यात्रा का 100 प्रतिशत। कोर्स के लिए लगने वाला शुल्क मिशन प्रबंधन द्वारा वहन किया जाएगा। |
| | v) तकनीकी कर्मचारी/क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/अध्ययन यात्रा | | |
| | ए) राज्य के अंतर्गत | रोजाना 300 रुपये/भागीदार तथा टीए/डीए जो भी अनुमन्य हो। | लागत का 100 प्रतिशत |
| | बी) प्रगतिशील राज्यों/इकाइयों का अध्ययन दौरा | रोजाना 800 रुपये/भागीदार तथा टीए/डीए जो भी अनुमन्य हो। | लागत का 100 प्रतिशत |
| | सी) भारत के बाहर | 6.00 लाख रुपये/सहभागी | हवाई/रेल यात्रा का 100 प्रतिशत। कोर्स के लिए लगने वाला शुल्क मिशन प्रबंधन द्वारा वहन किया जाएगा। |
| **सी** | **फसलोपरांत समेकित प्रबंधन** | | |
| सी–1 | भंडार घर | 9 मीटर x 6 मीटर आकार वाले प्रत्येक इकाई के लिए 4.00 लाख रुपये। | पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत |
| सी–2 | वाहकपट्टा, छटाई, क्रमस्थापन इकाई, धुलाई, सुखाई और तुलाई की सुविधाओं से युक्त समेकित भंडारगृह | 9 मीटर x 18 मीटर आकार के भंडार घर के लिए 50.00 लाख/इकाई | सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और निजी उद्यमियों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| सी–3 | पूर्व शीतलन इकाई | 6 टन क्षमता वाले इकाई के लिए 25.00 लाख रुपये/इकाई | सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| सी–4 | शीत घर (स्टेजिंग) | 30 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए 15.00 रुपये/इकाई | सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत। |
| सी–5 | चालित पूर्व शीतलन इकाई | 25.00 लाख रुपये | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| सी–6 | कोल्ड स्टोरेज (निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण) | | |

# अनुलग्नक– V

| | | | |
|---|---|---|---|
| | i) कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 1– एकल तापमान क्षेत्र वाले 250 टन से अधिक क्षमता वाले बड़े चैम्बर का निचला तल्ला। | 8000 / टन (अधिकतम 5000 टन क्षमता) | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| | ii) कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2– बहुतापीय एवं उत्पाद के इस्तेमाल के लिए पीईबी ढांचा, (250 टन से कम) के 6 से अधिक चैम्बरों एवं यंत्र संचालित करने वाले मूलभूत सामग्री। | 10,000 / टन (अधिकतम 5000 टन क्षमता) | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| | iii) कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2, वातावरण नियंत्रित करने वाली तकनीक के साथ | वातावरण नियंत्रण तकनीक उपकरणों की व्यवस्था के लिए 10,000 रुपये / टन की अतिरिक्त धनराषि। **परिशिष्ट**–II में उपलब्ध विस्तृत जानकारी के अनुसार। | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| सी–7 | कोल्ड स्टोरेज चेन का तकनीकी अधिष्ठापन एवं आधुनिकीकरण | पीएलसी उपकरण, पैकेजिंग लाइन, डॉक तलेक्षक, अत्याधुनिक ग्रेडर, वैकल्पिक तकनीक, टाल प्रणाली, पृथक्करण एवं प्रशीतन का आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए अधिकतम 250. 00 लाख। विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट**–II में | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| सी–8 | प्रशीतित परिवहन वाहन | 9 मीट्रिक टन (एनएचएम एवं एचएमएनईएच) क्षमता के लिए 26.00 लाख और कम क्षमता, पर 4 मीट्रिक टन से कम नहीं, के लिए उसके अनुपात में | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| सी–9 | प्रारंभिक / चालित / अल्प प्रसंस्करण इकाई | 25.00 लाख रुपये / इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिशत। |
| सी–10 | पक्वन कक्ष | 1.00 लाख / मीट्रिक टन | प्रति लाभार्थी अधिकतम 300 एमटी के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सी–15 | एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली | परियोजना आधारित। अधिकतम 600.00 लाख की लागत वाली परियोजना में उपरोक्त सी1– से सी13 के तहत अधिसूचित उपकरणों में से कम से दो उपकरण का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। | प्रति लाभार्थी अधिकतम 300 मी0 टन के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| **डी** | **सरकारी/निजी/सहकारी क्षेत्र के बागवानी उत्पादन हेतु विपणन ढांचे की स्थापना** | | |
| डी–1 | आवधिक बाजार | 150.00 करोड़ रुपये/परियोजना | अलग से जारी संचालित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी नीलामी व्यवस्था के जरिए सरकारी–निजी सहभागिता की स्थिति में 25 से 40 प्रतिशत (50.00 करोड़ से अधिक नहीं) |
| डी–2 | थोक बाजार | 100.00 करोड़ रुपये/परियोजना | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 33.33 प्रतिशत। |
| डी–3 | ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार | 25.00 लाख रुपये | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिशत। |
| डी–4 | खुदरा बाजार/दुकानें (पर्यावरण नियंत्रित) | 15.00 लाख रुपये/इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। |
| डी–5 | स्थिर/चालित विक्रय ठेला/शीत कक्ष के साथ प्लेटफॉर्म | 30,000/इकाई | कुल लागत का 50 प्रतिशत |
| डी–6 | निम्न के लिए क्रियात्मक आधारभूत ढांचा | | |

# अनुलग्नक– V

| | | | |
|---|---|---|---|
| | i) संचयन/पृथक्कन/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि | 15.00 लाख रुपये/ इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिशत। |
| | ii) गुणवत्ता नियंत्रण/विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला | 200.00 लाख रुपये | ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के तौर पर सार्वजनिक के लिए लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत। |
| डी–7 | पहाड़ी क्षेत्रों में दाब संचालित रोप–वे | 15.00 लाख रुपये/ किलोमीटर | पहाड़ी क्षेत्रों में ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिशत की दर से। |
| **इ** | **खाद्य प्रसंस्करण** | | |
| ई–1 | खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां | 800.00 लाख रुपये/ इकाई | जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिशत की दर से पूंजीगत निवेश सहायता। |
| **एफ** | **विशेष उपाय** | | |
| एफ–1 | नवीन उपाय, जो भारत सरकार के किसी भी योजना के तहत नहीं आता हो। | लागत का 10 प्रतिशत | परियोजना के प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50 प्रतिशत |
| एफ–2 | एसएचएम के आपात/अप्रत्याशित आवश्यकताओं से निपटना | 20.00 लाख रुपये | परियोजना के प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50 प्रतिशत |
| **जी** | **मिशन प्रबंधन** | | |
| जी–1 | राज्य एवं जिला मिशन कार्यालय और प्रशासनिक खर्चे, परियोजना, तैयारी, कंप्यूटरीकरण, आपात इत्यादि के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां। | राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम)/ क्रियान्यवन एजेंसियों की जरूरतों के आधार पर वार्षिक व्यय का 5 प्रतिशत | 100 प्रतिशत की सहायता |
| जी–2 | संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वाहनों को किराए पर लेना/खरीदना, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर | परियोजना आधारित | 100 प्रतिशत की सहायता |
| जी–3 | सेमिनार कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, प्रदर्शनी, किसान मेला, बागवानी प्रदर्शनी, मधु महोत्सव इत्यादि | | |
| | ए) अंतरर्राष्ट्रीय स्तर | 7.50 लाख रुपये/ आयोजन | 4 दिनों के आयोजन में व्यय का यथानुपात 100 प्रतिशत। |
| | बी) राष्ट्रीय स्तर | 5.00 लाख रुपये/ आयोजन | 20 दिन के आयोजन के लिए प्रति आयोजन 100 प्रतिशत |
| | सी) राज्य स्तर | 3.00 लाख रुपये/ आयोजन | 100 प्रतिशत की सहायता। दो दिनों के कार्यक्रम के लिए प्रति कार्यक्रम अधिकतम 3.00 लाख रुपये। |
| | डी) जिला स्तर | 2.00 लाख रुपये/ आयोजन | 100 प्रतिशत की सहायता। दो दिनों के कार्यक्रम के लिए प्रति कार्यक्रम अधिकतम 2.00 लाख रुपये। |
| जी–4 | प्रचार, प्रकाशित सामग्री इत्यादि एवं स्थानीय विज्ञापन के जरिए सूचना का प्रसार | 40,000 रुपये/ब्लॉक | लागत का 100 प्रतिशत |
| जी–5 | तकनीकी पैकेज का इलैक्ट्रानिक रूप में विकास तथा सूचना तकनीकी द्वारा प्रसार | 1.00 लाख रुपये/ जिला | लागत का 100 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | राज्य स्तर पर विशेषज्ञों/कर्मचारियों, अध्ययन, निगरानी एवं प्रबोधन मूल्यांकन/मूल्यांकन, जन संचार, प्रचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि को लेने के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)। | | |
| | किसान उत्पादक संगठन/एफपीओ/प्रति 20 हेक्टेयर पर 15–20 किसानों के एफआईजी किसान अधिकार समूह, उत्पादक संगठन और वित्तीय संस्थानों एवं समुच्चयक के साथ गठबंधन का संवर्धन | | |
| जी–8 | बेसलाइन सर्वेक्षण एवं बागवानी सांख्यिकीय डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण | बड़े राज्यों के लिए 100.00 लाख, छोटे राज्यों के लिए 50.00 लाख और अत्यधिक छोटे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25.00 लाख। | |
| I. | **राष्ट्रीय स्तर** | | |
| जी–9 | राज्य स्तर पर विशेषज्ञों/कर्मचारियों, अध्ययन, निगरानी एवं प्रबोधन मूल्यांकन/मूल्यांकन, जन संचार, प्रचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि को लेने के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)। जी3 पर आधारित | 5.00 करोड़ रुपये वार्षिक | लागत का 100 प्रतिशत |
| जी–10 | एफएओ, विश्व बैंक, एडीबी, जैसी अंतरर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तकनीकी समझौता, द्विपक्षीय सहयोग, अंतरर्राष्ट्रीय अनावरण दौर/अधिकारियों का प्रशिक्षण इत्यादि। | परियोजना आधारित वास्तविक लागत | लागत 100 प्रतिशत |

*लागत मानक से आशय सब्सिडी की गणना के लिए लागत की उच्च सीमा से है।

# नोट– सार्वजिनक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पजींकृत सोसाइटी/न्यासों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे संस्थानों को बैक एंडेड सब्सिडी जारी करने के लिए उसके ऋण संबद्ध होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते की ये एजेंसियां इस बात का भरोसा दिलाएं कि वह अपने स्रोतों से शेष धनराशि की व्यवस्था कर सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में योजना आयोग के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं। अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकारों एवं योजना आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों समेत अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं और टीपीएस क्षेत्र में आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों और एचएमएनईएच योजना के तहत आने वाले हिमालय के इलाकों से है।

# परिशिष्ट-I

चुनिंदा फल फसलों के क्षेत्र विस्तार की निर्देशात्मक इकाई लागत (रुपये प्रति हेक्टेयर )

| फसल | पौधों के बीच की दूरी (मी0) | पौधों की संख्या/हे0 | पौध सामग्री की लागत | निवेश की लागत | कुल लागत असंकलित | संकलन लागत ड्रिप सहित | कुल लागत संकलित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बादाम | 4.0 × 4.0 | 625 | 37500 | 40000 | 77500 | 33900 | 111400 |
| | 3.0 × 3.0 | 1111 | 66660 | 40000 | 106660 | 58400 | 165060 |
| आंवला | 6.0 × 6.0 | 278 | 10008 | 30000 | 40008 | 33,900 | 73908 |
| | 4.0 × 5.0 | 500 | 18000 | 32000 | 50000 | 33900 | 83900 |
| | 3.0 × 3.0 | 1110 | 39960 | 90000 | 129960 | 58400 | 188360 |
| सेब | 6.0 × 6.0 | 278 | 16680 | 30000 | 46680 | 33900 | 80580 |
| | 4.0 × 4.0 (RS- MM 111) | 625 | 37500 | 32000 | 69500 | 33900 | 103400 |
| | 3.5 × 3.5 (RS- MM 111) | 814 | 48840 | 35000 | 83840 | 58400 | 142240 |
| | 3.0 × 3.0 (RS- MM 106) | 1111 | 66660 | 38000 | 104660 | 58400 | 163060 |
| | 3.0 × 1.5 (RS- M9) | 2222 | 133320 | 40000 | 173320 | 58400 | 231720 |
| | 2.5 × 2.5 (RS- MM 106) | 1600 | 96000 | 42000 | 138000 | 58400 | 196400 |
| | 1.5 x 1.5 (RS- M9) | 4444 | 266640 | 45000 | 311640 | 85400 | 397040 |
| खुमानी | 4.0 × 4.0 | 625 | 37500 | 32000 | 69500 | 33900 | 103400 |
| | 3.5 × 3.5 | 816 | 48960 | 35000 | 83960 | 58400 | 142360 |
| केला (सकर) | 2.0 × 2.0 | 2500 | 25000 | 40000 | 65000 | 58400 | 123400 |
| केला (टीसी) | 1.8 × 1.8 | 3086 | 52462 | 50000 | 102462 | 58400 | 160862 |
| | 1.5 × 1.5 | 4444 | 75548 | 60000 | 135548 | 85400 | 220948 |
| बेर | 6.0 × 6.0 | 278 | 8340 | 20000 | 28340 | 33900 | 62240 |
| | 5.0 × 5.0 | 400 | 12000 | 23000 | 35000 | 33900 | 68900 |
| | 4.0 × 4.0 | 625 | 18750 | 25000 | 43750 | 33900 | 77650 |
| चेरी | 4.0 × 4.0 | 625 | 18750 | 32000 | 50750 | 33900 | 84650 |
| नीबूं | | | | | | | |
| (ए) खट्टा नीबू | 3.0 × 3.0 | 1111 | 39996 | 40000 | 79996 | 58400 | 138396 |
| एवं नीम्बू | 4.0 × 4.5 | 555 | 19980 | 35000 | 54980 | 33900 | 88880 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (बी) संतरा/ मौसमी | 6.0 × 6.0 | 278 | 10008 | 30000 | 40008 | 33900 | 73908 |
| | 5.0 × 5.0 | 400 | 14400 | 31000 | 45400 | 33900 | 79300 |
| | 5.4 × 5.4 | 343 | 12348 | 30000 | 42348 | 33900 | 76248 |
| | 5.0 × 4.5 | 444 | 15984 | 32000 | 47984 | 33900 | 81884 |
| | 4.5 × 4.5 | 494 | 17784 | 35000 | 52784 | 33900 | 86684 |
| | 4.0 × 5.0 | 500 | 18000 | 32000 | 50000 | 33900 | 83900 |
| (सी) मीठा संतरा | 6.0 × 6.0 | 278 | 10008 | 30000 | 40008 | 33900 | 73908 |
| शरीफा | 2.5 × 2.5 | 1600 | 64000 | 42000 | 106000 | 58400 | 164400 |
| अंजीर | 4.0 × 4.0 | 625 | 18750 | 32000 | 50750 | 33900 | 84650 |
| | 2.5 × 2.5 | 1600 | 48000 | 35000 | 83000 | 58400 | 141400 |
| अंगूर | 4.0 × 4.0 | 625 | 9375 | 98000 | 107375 | 75000 | 182375 |
| | 3.0 × 3.0 | 1110 | 16650 | 100000 | 116650 | 100000 | 216650 |
| | 3.0 × 2.0 | 1666 | 24990 | 110000 | 134990 | 150000 | 284990 |
| | 1.8 x 1.8 | 2777 | 41655 | 115000 | 156655 | 200000 | 356655 |
| अमरूद | 6.0 × 6.0 | 278 | 8340 | 30000 | 38340 | 33900 | 72240 |
| | 3.0 × 6.0 | 555 | 16650 | 35000 | 51650 | 58400 | 110050 |
| | 3.0 × 3.0 | 1111 | 33330 | 40000 | 73330 | 58400 | 131730 |
| | 1.5 x 3.0 | 2222 | 66660 | 45000 | 111660 | 58400 | 170060 |
| | 1.0 x 2.0 | 5000 | 150000 | 50000 | 200000 | 58400 | 258400 |
| किवी | 6.0 × 6.0 | 278 | 6950 | 30000 | 36950 | 60000 | 96950 |
| | 4.0 × 6.0 | 416 | 10400 | 100000 | 110400 | 70000 | 180400 |
| | 4.0 × 5.0 | 500 | 12500 | 115000 | 127500 | 72000 | 199500 |
| | 4.0 × 4.0 | 625 | 15625 | 120000 | 135625 | 75000 | 210625 |
| लिची | 10.0 x 10.0 | 100 | 5000 | 23000 | 28000 | 23500 | 51500 |
| | 7.5 x 7.5 | 178 | 8900 | 26450 | 35350 | 33900 | 69250 |
| | 6.0 x 6.0 | 278 | 13900 | 30000 | 43900 | 33900 | 77800 |
| | 4.5 x 4.5 x 9.0 | 329 | 16450 | 35000 | 51450 | 33900 | 85350 |
| आम | 10.0 x 10.0 | 100 | 4500 | 21000 | 25500 | 23500 | 49000 |
| | 5.0 × 5.0 | 400 | 18000 | 23000 | 41000 | 33900 | 74900 |
| | 4.0 × 6.0 | 416 | 18720 | 30000 | 48720 | 33900 | 82620 |
| | 3.0 × 6.0 | 555 | 24975 | 32000 | 56975 | 33900 | 90875 |
| | 3.0 × 4.0 | 833 | 37485 | 35000 | 72485 | 33900 | 106385 |
| | 2.5 × 2.5 | 1600 | 72000 | 40000 | 112000 | 58400 | 170400 |
| पपीता | 1.8 x 1.8 | 2777 | 41655 | 20000 | 61655 | 58400 | 120055 |
| | 1.5 x 1.5 | 4444 | 66660 | 22000 | 88660 | 85400 | 174060 |
| पैशन फल | 4.0 × 4.0 | 625 | 12500 | 98000 | 110500 | 75000 | 185500 |
| | 3.0 × 3.0 | 1111 | 22220 | 100000 | 122220 | 100000 | 222220 |
| | 3.0 × 2.0 | 1666 | 33320 | 11000 | 44320 | 150000 | 194320 |
| आड़ू | 3 x 2.5 | 1333 | 46655 | 45000 | 91655 | 58400 | 150055 |
| | 2.5 x 2.5 | 1600 | 56000 | 50000 | 106000 | 58400 | 164400 |

## परिशिष्ट-I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाशपाती | 5.0 × 5.0 | 500 | 15000 | 23000 | 38000 | 33900 | 71900 |
| | 4.0 × 4.0 | 625 | 18750 | 30000 | 48750 | 33900 | 82650 |
| | 3.0 × 3.0 | 1111 | 33330 | 40000 | 73330 | 58400 | 131730 |
| अनानास (रसीला) | 0.6 × 0.3 | 45000 | 135000 | 23000 | 158000 | 100000 | 258000 |
| अनानास (टीसी) | 0.6 × 0.3 | 45000 | 180000 | 34500 | 214500 | 100000 | 314500 |
| | 0.3 × 0.6 × .9 | 43000 | 172000 | 34500 | 206500 | 100000 | 306500 |
| | .225 × .6 × .9 | 53000 | 212000 | 56000 | 268000 | 110000 | 378000 |
| आलू बुखारा | 3.5 x 3.5 | 816 | 32640 | 35000 | 67640 | 33900 | 101540 |
| | 2.5 x 2.5 | 1600 | 64000 | 42000 | 106000 | 58400 | 164400 |
| अनार | 5.0 × 5.0 | 400 | 16000 | 32000 | 48000 | 33900 | 81900 |
| | 5.0 × 4.0 | 500 | 20000 | 33000 | 53000 | 33900 | 86900 |
| | 5.0 × 3.0 | 667 | 26680 | 40000 | 66680 | 33900 | 100580 |
| | 5.0 × 2.5 | 800 | 32000 | 48000 | 80000 | 33900 | 139000 |
| | 4.5 × 3.0 | 741 | 29640 | 42000 | 71640 | 33900 | 105540 |
| | 4.0 × 3.0 | 666 | 26640 | 45000 | 71640 | 33900 | 105540 |
| सैपोटा | 5.0 × 5.0 | 400 | 14400 | 31000 | 45400 | 33900 | 79300 |
| स्ट्रॉबेरी | 0.9 × 0.45 | 24691 | 123455 | 55000 | 178455 | 100000 | 278455 |
| | 0.6 × 0.25 | 66666 | 333330 | 50000 | 383330 | 100000 | 483330 |
| | 0.5 × 1.0 | 2000 | 10000 | 100000 | 110000 | 100000 | 210000 |
| अखरोट | 6.0 × 6.0 | 278 | 41700 | 30000 | 71700 | 33900 | 105600 |
| | 5.0 × 5.0 | 400 | 60000 | 31000 | 91000 | 33900 | 124900 |

# परिशिष्ट-II

## कोल्ड चेन में प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन, सी ए एवं आधुनिकीकरण के लिए संलग्नक

| क्रम संख्या | मद | वर्णन | स्वीकार्य लागत |
|---|---|---|---|
| 1 | सी ए जनरेटर* | सेंसर्स, दबाव एकरुपण उपकरण, नियंत्रण को मिलाकर | 125.00 लाख/इकाई, अधिकतम 2 जनरेटर |
| 2 | विशेष सी ए दरवाजे* | सकारात्मक दबाव कक्ष के लिए विशेष स्टोरेज दरवाजे | 2.50लाख/दरवाजा, अधिकतम 20 दररवाजे |
| 3 | सी ए तंबू# | नए या मौजूदा कोल्ड स्टोरेज के लिए पीवीसी के सस्ते पॉलिथीन, माइलर या अन्य अभेद्य बाड़ा | मूल बिल के अनुरूप, अधिकतम 5 बाड़ा |
| 4 | प्रोग्रेम लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) उपकरण##@ | नए या मौजूदा कोल्ड स्टोरेज के लिए मशीनरी एवं उपकरणों हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल | मूल बिल के अनुरूप लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 10 लाख रुपये। |
| 5 | बाड़ा तलेक्षकरु प्रणाली#@ | नए या मौजूदा कोल्ड स्टोरेज में | अधिकतम 7 लाख रुपये/इकाई, अधिकतम 5 इकाई। |
| 6 | वेयरहाउस विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए)/ विनिमेय वेयरहाउस रसीद (एनडब्लूआर) प्रणाली, उपकरण# | कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स एवं डब्लूडीआरए के एनडब्लूआर में इस्तेमाल हेतु सॉफ्टवेयर | मूल बिल के अनुरूप लागत का 100 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 2 लाख रुपये। |
| 7 | विशेष पैकेजिंग# | पैकेजिंग सामग्रियों समेत फलों, सब्जियों के लिए फर्म के कोड चस्पा करने की सुविधा समेत स्वचालित पैकेजिंग इकाई | प्रत्येक मूल बिल के अनुरुप लागत का 100 प्रतिशत, 15 लाख रुपय/परियोजना। |
| 8 | उच्च विस्तार सामग्री हैंडलिंग उपकरण (एमएचई)*# | विशेष सामग्री हैंडलिंग उपकरण | 17.00 लाख रुपये/इकाई, अधिकतम 2 इकाई। |
| 9 | प्रशीतन का आधुनिकीकरण@ | वाष्पनमापी प्रणाली, कंप्रेसर प्रणाली को उन्नतिशील बनाने हेतु | मूल बिल के मुताबिक लागत का 50 प्रतिशत। 2500 रुपये/एमटी की दर से अधिकतम 100 लाख। |
| 10 | पृथक्करण का आधुनिकीकरण@ | शीतल कक्ष पृथक्करण की मरम्मत और आधुनिकीकरण हेतु | मूल बिल के मुताबिक लागत का 50 प्रतिशत। 1500 रुपये/एमटी की दर से अधिकतम 100 लाख। |
| 11 | रीफर कंटेनर# | मौजूदा चेसिस ट्रेलर्स पर इस्तेमाल हेतु रीफर कंटेनर | प्रत्येक 9 एमटी (20 फीट के कंटेनर) के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये। |
| 12 | अत्याधुनिक ग्रेडर*#@ | कंप्यूटरीकृत, पैकेजिंग सामग्री के साथ ऑप्टिकल ग्रेडिंग लाइंस | मूल बिल के मुताबिक लागत का 100 प्रतिशत। अधिकतम 75 लाख रुपये/लाइन। |
| 13 | टाल प्रणाली*#@ | मौजूदा या नए कोल्ड स्टोरेज के लिए टाल प्रणाली, पैलेट्स | मूल मिल पर आधारित लागत का 100 प्रतिशत। अधिकतम 2000/एमटी। |
| 14 | छोटे ताक/उपकरण# | तापमान को नियंत्रित करने वाले छोटे कैबिनेट्स या मर्चेंडाइजिंग उपकरण। | प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | वैकल्पिक प्रौद्योगिकी#@ | वाष्प शोषकता, फेज चेंद सामग्री, सोलर पीवीसी पैनल्स या सोलर थर्मल प्रणाली | बिल पर आधारित लागत का 100 प्रतिशत। अधिकतम 35 लाख रुपये/परियोजना |
| *सामग्री वर्गीकरण–*सीए एड ऑन्स, #अदर्स एड–ऑन, एवं @आधुनिकीकरण* | | | |

अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी मूल बिल पर आधारित होगी, लेकिन किसी भी सूरत में 750 लाख से अधिक नहीं होगी या जो भी कम हो वह होगी। एड ऑन तकनीक के लिए ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी स्वीकार्य लागत के 35/50 प्रतिशत ही उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीक ऑपरेटर के गुणवत्ता में ही निहीत होगी और स्वीकार्य लागत भी प्रेरक अधिष्ठापन के मानक के रूप में होगा न कि परियोजना के वित्तपोषण के रूप में।

कॉर्बन पदचिन्ह कम करने हेतु नई तकनीक या उपकरण के अधिष्ठापन के लिए अन्य उपकरणों के बारे में तकनीकी समिति फैसला कर सकती है। एकल इकाई उपकरणों जैसे पृथक्करण, ग्रेडर्स, सी ए जनरेटर, सोलर पैनल्स इत्यादि के लिए एनसीसीडी प्रचार एजेंसियों के जरिए दिशानिर्देश का प्रकाशन करेगी।

# अनुलग्नक-VI

## एमआईडीएच के तहत 12वीं योजना के दौरान बांस से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सहायता के लागत मानदण्ड एवं प्रतिमान

| क्रम संख्या | मद | लागत मानदण्ड* | सहायता प्रतिमान# |
|---|---|---|---|
| ए | अनुसंधान एवं विकास | | |
| | | | आईसीएआर, सीएसआईआर, आईसीएफआरई, एसएयू, राष्ट्रीय स्तर की सरकारी एजेंसियां और अन्य स्थानीक एजेंसियों जैसे केंद्र सरकार की संस्थाएं आवश्यकता के अनुसार निम्निलिखत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्य करेंगी<br>(i) बागवानी सामग्री के आयात समेत बीज एवं बागवानी सामग्री<br>(ii) प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण<br>(iii) प्रौद्योगिक अधिग्रहण एवं<br>(iv) परियोजना के मुताबिक 100 प्रतिशत सहायता के साथ एफएलडी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। |
| बी | बगीचा आधारभूत ढांचा विकास | | |
| | **बगीचा सामग्री का उत्पादन** | | |
| | i) उच्च तकनीक पौधशाला (2 हेक्टेयर) | 40 लाख/इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 40 प्रतिशत, ऋण संबद्ध बैक इंडेड सब्सिडी के रूप में। |
| | ii) छोटी पौधशाला (0.5 हेक्टेयर) | 10 लाख/इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत, ऋण संबद्ध बैक इंडेड सब्सिडी के रूप में। |
| | iii) बांस के लिए टीसी इकाई का पुनरुद्धार | 21 लाख/हेक्टेयर | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिषत, ऋण संबद्ध बैक इंडेड सब्सिडी के रूप में। |
| **बी.2** | **बांस के लिए क्षेत्र विस्तार** | | |
| | i) वन क्षेत्र/सार्वजनिक भूमि (जेएफएमसी/पंचायती राज संस्थाएं/एसएचजी, महिला समूह इत्यादि) | 42,000 रुपये/हेक्टेयर | तीन वर्षों में तीन किश्तों (50:25:25) में लागत का 100 फीसदी। |
| | ii) गैर वन क्षेत्र | 30,000 रुपये/हेक्टेयर, झरना सिंचाई की सुविधा के साथ 42,000रुपय/हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी 4 हेक्टेयर तक तीन वर्षों में तीन किश्तों में लागत का 35 प्रतिशत। |
| **बी.3** | **विद्यमान माल में सुधार** | | |
| | i) वन/गैर वन क्षेत्रों में विद्यमान माल में सुधार | 20,000रुपये/हेक्टेयर | सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को 40 प्रतिशत। निजी क्षेत्र के लिए 2 हेक्टेयर क्षेत्र की शर्त होगी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होगी। |
| **बी.4** | **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं एचआरडी** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | i) किसानों/कारीगरों को प्रशिक्षण | राज्य के अंतर्गत आने जाने के खर्चे समेत प्रति किसान 1000 रुपये प्रतिदिन। और राज्य से बाहर परियोजना पर आधारित वास्तविक खर्च। | लागत का 100 प्रतिशत। |
| | ii) क्षेत्र पदाधिकारियों को प्रशिक्षण | प्रति सहभागी 300 रुपये प्रतिदिन और टीए/डीए में से जो भी स्वीकार्य हो। | लागत का 100 फीसदी। |
| | iii) एनबीएम कर्मचारियों/किसानों, उद्यमियों समेत क्षेत्र पदाधिकारियों को बांस के क्षेत्र में आने वाली नवीन प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देने के लिए अंतरर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनावरण दौरे। | 4.00 लाख/सहभागी | परियोजना आधारित रेल व हवाई किराये का 100 प्रतिशत। हर साल देशभर से चुने गए 50 सहभागियों हेतु कोर्स के शुल्क का भुगतान मिशन प्रबंधन की तरफ से किया जाएगा। |
| | iv) बागवानी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन | 50,000 रुपये/हेक्टेयर | वन क्षेत्र और सरकारी जमीन पर लागत का 100 प्रतिशत। गैर वन क्षेत्र में प्रति लाभार्थी अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन 25000 रुपये/हेक्टेयर से अधिक नहीं। |
| | v) कार्यशाला/सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन | परियोजना आधारित | 100 प्रतिशत |
| | ए) अंतरर्राष्ट्रीय स्तर | 7.50 लाख रुपये प्रति आयोजन | 100 प्रतिशत सहायता। अधिकतम 40 लाख रुपये |
| | बी) राष्ट्रीय स्तर | 5.00 लाख रुपये प्रति आयोजन | दो दिन के आयोजन पर आने वाला 100 प्रतिशत खर्च |
| | सी) राज्य स्तर | 3.00 लाख रुपये प्रति आयोजन | दो दिन के आयोजन पर आने वाला 100 प्रतिशत खर्च |
| | डी) जिला स्तर | | |
| **बी.5** | **बांस के कीट एवं रोग प्रबंधन** | 400 रुपये/हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी 2 हेक्टेयर की सीमा के तहत लागत का 50 प्रतिशत। अधिकतम 200 रुपये/हेक्टेयर। |
| **बी.6** | **जल स्रोतों का सृजन** | | |
| | i) प्लास्टिक/कंकरीट के इस्तेमाल से सामुदायिक टंकी/खेतों में तालाब/जलाशय का सृजन | मैदानी क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 लाख/इकाई | सामुदायिक/किसान समूह के मालिकाना हक वाले या संचालित किए जाने वाले 10 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता वाले 100X100X03 मीटर के तालाब या सिंचित क्षमता के अनुपात में इससे छोटे तालाबों के निर्माण के लिए लागत का 100 फीसदी की मदद। ऐसे तालाब का निर्माण कम से कम 300 माइक्रोन के प्लास्टिक की झिल्ली या कंकरीट के इस्तेमाल के किया जाएगा।<br>बिना किसी निर्धारित आकार वाले तालाब (कॉटन पैदा करने वाले क्षेत्र हेतु) के लिए 30 प्रतिशत कम मदद दी जाएगी, जो प्लास्टिक या कंकरीट की दीवार के लिए ही होगी। |
| | ii) व्यक्तियों हेतु जल संचयन प्रणाली– (20X20X03 मीटर क्षेत्रफल वाले तालाब/नलकूप/कुएं हेतु 125 रुपये/घनमीटर की दर से) | मैदानी क्षेत्रों में रुपये 1.50/इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.80 लाख/इकाई। | प्लास्टिक/कंकरीट की लाइनिंग समेत लागत का 50 प्रतिशत। गैर लाइनिंग तालाब/टंकी (कॉटन पैदा करने वाली काली मिट्टी के लिए) के लिए सहायता राशि 30 प्रतिशत कम होगी। छोटे आकार वाले तालाब/नलकूपों के लिए उनके सिंचित क्षमता के अनुपात में सहायता राशि होगी। इसका रखरखाव लाभार्थियों द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा। |

## अनुलग्नक– VI

| | | | |
|---|---|---|---|
| सी. | **बांस के क्षेत्र में नवीन उपाय** | | |
| | i). नवीन उपाय | परियोजना आधारित | 100 प्रतिशत सहायता |
| डी. | **फसलोपरांत समेकित प्रबंधन** | | |
| | i). बांस के लिए फसलोपरांत भंडारण एवं बेहतर रखरखाव की सुविधा | 25.0 लाख | ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के रूप में 40 प्रतिशत की सहायता |
| ई. | **विपणन आधारभूत ढांचे की स्थापना** | | |
| **ई.1** | (i) ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के थोक व खुदरा बाजार | 25 लाख रुपये/इकाई | व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए सामान्य क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और पहाड़ी व अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक इंडेड सब्सिडी। |
| **ई.2** | बांस बाजार | 48 लाख रुपये/इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और पहाड़ी व अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक इंडेड सब्सिडी। |
| **ई.3** | खुदरा दुकानें (शोरूम) (संख्या) | 60 लाख रुपये/इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में 35 प्रतिषत और पहाड़ी व अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक इंडेड सब्सिडी। |
| **ई.4** | गांव के पास खुदरा दुकान | 10 लाख रुपये/इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में 35 प्रतिषत और पहाड़ी व अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक इंडेड सब्सिडी। |
| **ई.5** | राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियों इत्यादि में भागीदारी | 8 लाख रुपये/आयोजन | अखिल भारतीय आधार पर एक साल में अधिकतम 27 भागीदारों के लिए लागत का 100 प्रतिशत |
| **ई.6** | अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियों इत्यादि में भागीदारी | 24 लाख रुपये/आयोजन | अखिल भारतीय आधार पर एक साल में अधिकतम 30 भागीदारों के लिए लागत का 100 प्रतिशत |
| एफ | **निगरानी प्रक्रिया का कार्यान्वन** | | |
| **एफ–1** | **राष्ट्रीय बांस प्रकोष्ठ** | | |
| | ए) निगरानी एवं मूल्यांकन | परियोजना आधारित | लागत का 100 प्रतिशत |
| | बी) बांस प्रौद्योगिक समर्थन समूह | परियोजना आधारित | हर राज्य को प्रतिवर्ष अधिकतम 50.00 लाख रुपये। |
| | सी) रंगीन पुस्तिका एवं पर्चे | परियोजना आधारित | लागत का 100 प्रतिशत |
| | डी) इलेक्ट्रॉनिक/दृश्य श्रव्य माध्यम/समाचार पत्रों के जरिए प्रचार अभियान | परियोजना आधारित | लागत का 100 प्रतिशत |
| | ई) डाटाबेस प्रजजन एवं प्रबंधन (सूचना, वेब आधारित डाटाबेस) | परियोजना आधारित | आईसीएआर/आईसीएफआरई इत्यादि जैसी केंद्र और राज्य स्तरीय संस्थाओं को लागत का 100 प्रतिशत |
| **एफ.2** | बेसलाइन सर्वेक्षण | बड़े राज्यों के लिए 100 लाख, छोटे राज्यों के लिए 50 लाख और<br>अत्यधिक छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 लाख रुपये। | सर्वेक्षण संबंधित कार्यों के लिए एक मुश्त सहायता राशि का 100 प्रतिशत |
| **एफ.3** | मिशन प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यय | परियोजना आधारित | परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक। |

** लागत मानदण्ड से मतलब सब्सिडी की गणना के लिए लागत की उच्च सीमा*

*# नोट– सार्वजिनक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पजंतीकृत सोसाइटी/न्यासों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे संस्थानों को बैक एंडेड सब्सिडी जारी करने के लिए उसके ऋण संबंद्ध होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते की ये एजेंसियां इस बात का भरोसा दिलाएं कि वह अपने स्रोतों से शेष धनराशि की व्यवस्था कर सकती हैं।*

# अनुलग्नक-VII

## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 12वीं योजना के दौरान एमआईडीएच के अंतर्गत लागत मानदण्ड एवं सहायता प्रतिमान

| क्रम संख्या | मद | लागत मानदण्ड* | सहायता प्रतिमान# |
|---|---|---|---|
| ए | व्यवसायिक बगीचों का विकास## | | |
| | खुले क्षेत्र में व्यवसायिक बगीचों का विकास (बागान सामग्री, पौधे, सिंचाई, उर्वरक, सूक्ष्म खेती, जीएपी इत्यादि की सुविधाओं समेत) | दो हेक्टेयर क्षेत्र में फैली परियोजना के लिए 75 लाख रुपये/परियोजना (पाम, ऑलिव एवं केसर के डाटा के लिए 125 लाख रुपये) | सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत की दर अधिकतम 30 लाख रुपये प्रति परियोजना और पूर्वोत्तर, पहाड़ी एवं अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 37.50 लाख रुपये प्रति परियोजना ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में। |
| | संरक्षित आच्छादन में व्यवसायिक बागान का विकास | 2500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादन क्षेत्र वाली परियोजना के लिए 112 लाख रुपये/परियोजना | ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के रूपमें 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 56 लाख रुपये/परियोजना |
| | फसलोपरांत समेकित प्रबंधन परियोजना अर्थात पैक हाउस, पक्कवन कक्ष, शीतयन वैन, खुदरा दुकानें, पूर्व शीतयन इकाई, प्रारंभिक प्रसंस्करण इत्यादि। | 145 लाख रुपये/परियोजना। पूर्व शीतयन, पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकिंग, शीत कक्ष जैसी दूसरी सुविधाओं को अतिरिक्त उपकरण के रूप में लिया जा सकता है। | सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर अधिकतम 50.75 लाख रुपये प्रति परियोजना और पूर्वोत्तर, पहाड़ी एवं अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 72.50 लाख रुपये प्रति परियोजना पश्चगमी एवं अग्रगामी सुनिश्चित अनुबंध के साथ ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में। इकलौती परियोजनाओं के लिए एनएचएम मानकों को अपनाया जाएगा। |
| बी | बागान उत्पादों के लिए भंडारघर और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना | | |
| बी.1 | कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 1– एकल तापमान जोन के साथ बड़े कक्ष (250 एमटी) वाला मूल मध्य तल्ले वाला ढांचा | 5000 एमटी से अधिक और 10,000 एमटी तक की क्षमता वाली परियोजना को एनएचबी निम्नलिखित दरों पर लेगी<br>’ 5001–6500 एमटी क्षमता हेतु 7600 रुपये/एमटी<br>’ 6501 से 8000 एमटी क्षमता हेतु 7200 रुपये/एमटी<br>’ 8001 से 10,000 एमटी क्षमता हेतु 6800 रुपये/एमटी | 5000 एमटी से अधिक क्षमता वाली परियोजना हेतु लागत का 35 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में (पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिषत)। |

# अनुलग्नक– VII

| | | | |
|---|---|---|---|
| बी.2 | कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2 –बहुतापीय एवं उत्पादों के लिए पीईबी ढांचा, 6 कक्ष (250 एमटी से कम) से अधिक वाले और आध ाारभूत सामग्री हैंडलिंग उपकरण | 5000 एमटी से अधिक और 10,000 एमटी तक की क्षमता वाली परियोजना को एनएचबी निम्नलिखित दरों पर लेगी.<br>’ 5001–6500 एमटी क्षमता हेतु 9500 रुपये / एमटी<br>’ 6501 से 8000 एमटी क्षमता हेतु 9000 रुपये / एमटी<br>’ 8001 से 10,000 एमटी क्षमता हेतु 8500रुपये / एमटी | 5000 एमटी से अधिक क्षमता वाली परियोजना हेतु लागत का 35 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में (पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत)। |
| बी.3 | कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2– ताप नियंत्रण तकनीक की सुविध ा के साथ | 5000 एमटी से अधिक और 10,000 एमटी तक की क्षमता वाली परियोजना को एनएचबी निम्नलिखित दरों पर लेगी.<br>तापीय नियंत्रण प्रौद्योगिकी की सुविधा जोड़ने के लिए अतिरिक्त 10,000रुपये / एमटी (**परिशिष्ट**–II) | 5000 एमटी से अधिक क्षमता वाली परियोजना हेतु लागत का 35 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में (पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत)। |
| | | | 5000 एमटी से अधिक क्षमता वाली परियोजना हेतु लागत का 35 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में (पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत)। |
| **सी** | **बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण** | | |
| सी.1 | ब्लॉक / पौधशाला (मदर ब्लाक) की स्थापना (4 हेक्टेयर से अधिक) | 100 लाख रुपय / हेक्टेयर (वायरस सूची एवं टिश्यू कल्चर प्रयोग इत्यादि समेत) | परियोजना आधारित–100 प्रतिशत और सिर्फ सरकारी एजेंसियों के जरिए ही। इसके घटकों में कलम के मूल पेड़ और मूल स्टॉक, रोग मुक्त बाग सामग्री उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, स्क्रीन हाउस, कुहरा कक्ष का निर्माण, बंध ीकरण के लिए गर्म तल, काम करने के लिए शेड, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, मौसम स्टेशन, जलापूर्ति, सिंचाई व्यवस्था, प्रजनन इकाई, जनरेटर के साथ बिजली आपूर्ति व्यवस्था, ईटीपी, कृषि उपकरण / कृषि यंत्र, औजार, रुट ट्रेनर, पोरट्रे, कंटेनर, डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण के लिए कंप्यूटर इत्यादि शामिल है। |
| सी.2 | बागान फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने और मूल्यांकन के लिए बागान सामग्री के आयात समेत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण | 50 लाख रुपये / परियोजना | परियोजना आधारित 100 प्रतिशत और सिर्फ सरकारी एजेंसियों के जरिए ही। |
| सी.3 | प्रदर्शनी के मकसद से बागवानी के लिए मशीन और औजार का आयात / प्रबंध (सार्वजनिक क्षेत्र) | 50 लाख रुपये / मशीन | कुल लागत का 100 प्रतिशत और सिर्फ सरकारी एजेंसियों के जरिए ही। |
| सी.4 | प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण | 25 लाख रुपये / परियोजना | कुल लागत का 100 प्रतिशत और सिर्फ सरकारी एजेंसियों के जरिए ही। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सी.5 | लंबी दूरी के लिए परिवहन व्यवस्था | परियोजना आधारित | 2000.00 लाख रुपये। |
| सी.6 | उत्पाद के संवर्धन एवं बाजार विकास सेवाएं–बागवानी मेला | 25 लाख रुपये | केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा लागत का 100 प्रतिशत। |
| सी.7 | किसानों के लिए अनावरण दौरा (राज्य के बाहर) | परियोजना आधारित वास्तविक व्यय | लागत का 100 प्रतिशत। |
| सी.8 | सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे | 6 लाख रुपये/सहभागी | रेल/हवाई यात्रा एवं कोर्स के शुल्क के मद में होने वाले 100 फीसदी खर्च। |
| सी.9 | बागवानी विकास के लिए सेमिनार/कार्यशाला/गोष्ठी में सहभागिता एवं उसका आयोजन | अंतरर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए 10 लाख रुपये/राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए 5 लाख/राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए 3 लाख और जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए 50 हजार रुपये। | निजी एजेंसियों को वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और एनएचबी के अपने कार्यक्रम के लिए लागत का 100 प्रतिशत। |
| सी.10 | फल बाग पौधशाला की रेटिंग एवं प्रमाणीकरण | 1 लाख रुपये/पौधशाला | केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा |
| **डी** | **बाजार सूचना योजना** | | |
| | | | केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा |
| **ई.** | **बागवानी प्रवर्तन सेवाएं/विशेषज्ञ सेवाएं एवं एनएचबी की क्षमता दृढ़ीकरण** | | केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा |

** लागत मानक से आशय सब्सिडी की गणना के लिए लागत की उच्च सीमा से है।*

*# नोट– सार्वजिनक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पजंतीकृत सोसाइटी/न्यासों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे संस्थानों को बैक एंडेड सब्सिडी जारी करने के लिए उसके ऋण संबंद्ध होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते की ये एजेंसियां इस बात का भरोसा दिलाएं कि वह अपने स्रोतों से शेष धनराशि की व्यवस्था कर सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में योजना आयोग के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।*

*अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकारों एवं योजना आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों समेत अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं और टीपीएस क्षेत्र में आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों और एचएमएनईएच योजना के तहत आने वाले हिमालय के इलाकों से है।*

*## सार्वजिनक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पजंतीकृत सोसाइटी/न्यासों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे संस्थानों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए व्यवसायिक बागवानी विकास परियोजनों हेतु सब्सिजी जारी करने के लिए उसके ऋण संबंद्ध होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते की ये एजेंसियां इस बात का भरोसा दिलाएं कि वह अपने स्रोतों से शेष धनराशि की व्यवस्था कर सकती हैं। मूल्य निर्धारण करने वाली किसी एजेंसी से परियोजनाओं का मूल्यांकन कराना होगा।*

# अनुलग्नक-VIII

## एमआईडीएच के अंतर्गत 12वीं योजना के दौरान नारियल विकास बोर्ड संबंधित कार्यक्रमों के लिए लागत मानदण्ड एवं सहायता प्रतिमान

| क्रम संख्या | मद | लागत मानदण्ड* | सहायता प्रतिमान |
|---|---|---|---|
| ए | सामान्य योजना | | |
| ए.1 | गुणवत्तायुक्त बागान सामग्री का उत्पादन एवं वितरण | | |
| | ए) प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म (डीएसपी) | | |
| | i) नए डीएसपी फार्म की स्थापना | 25 लाख रुपये/फार्म | लागत का 100 प्रतिशत |
| | ii) पौधशाला समेत सात पुराने डीएसपी फार्म का रखरखाव | 27 लाख रुपये/फार्म | लागत का 100 प्रतिशत |
| | बी) क्षेत्रीय नारियल पौधशाला की स्थापना | 32 रुपये/पौधा | लागत का 50 प्रतिशत |
| | सी) संकर/वामन पौधों का सरकारी/निजी क्षेत्र वितरण | 36 रुपये/पौधा | लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 25000 पौधे/एकड़ |
| | डी) केंद्रक नारियल बीज बगीचे की स्थापना | 6 लाख रुपये/हेक्टेयर | अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए लागत का 25 प्रतिशत |
| | ई) लघु नारियल पौधशाला की स्थापना | 2 लाख रुपये/0.4हेक्टेयर इकाई | सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत |
| ए.2 | नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार | | |
| | ए) सामान्य क्षेत्र | - | |
| | i). लंबी प्रजाति | 26,000 रुपये/हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत का 25 प्रतिशत दो समान किश्तों में। |
| | ii). संकर | 27,000 रुपये/हेक्टेयर | |
| | iii). वामन प्रजाति | 30,000 रुपये/हेक्टेयर | |
| | बी– पहाड़ी एवं अधिसूचित क्षेत्र# | | |
| | i). लंबी प्रजाति | 55,000 रुपये/हेक्टेयर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत का 25 प्रतिशत दो समान किश्तों में। |
| | ii). संकर प्रजाति | 55,000 रुपये/हेक्टेयर | |
| | iii). वामन प्रजाति | 60,000 रुपये/हेक्टेयर | |
| ए.3 | उत्पादकता संवर्धन के लिए समेकित खेती | | |
| | ए) प्रदर्शनी खेत तैयार करना | 35,000 रुपये/हेक्टेयर | सार्वजिक क्षेत्र में सामूहिक आधार पर लागत का 100 प्रतिशत |
| | बी) जैविक खाद इकाई | 60,000 रुपये/इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक आधार पर लागत का 100 प्रतिशत |
| ए.4 | प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला | 25 लाख रुपये/परियोजना | सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत |
| ए.5 | विपणन, बाजार सामाचार सेवाएं, सांख्यिकीय एवं निर्यात संवर्धन परिषद का सुदृढ़ीकरण (ईपीसी) | 50 लाख रुपये/परियोजना | सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत |
| ए.6 | सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 50 लाख रुपये/परियोजना | सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ए.7 | प्रौद्योगिकी सेवा एवं परियोजना प्रबंधन | परियोजना आधारित | सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत |
| बी | नारियल प्रौद्योगिकी मिशन | | |
| **बी–1** | **कीट नाशक एवं रोग प्रभावित बागानों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं अभिग्रहण** | | |
| | ए) प्रौद्योगिकी विकास | ए) आईसीएआर (सीपीसीआरआई)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य बागवानी विभाग/कृषि, एवं सहकारी क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपये<br>बी) एनजीओ और अन्य संगठनों के लिए 25 लाख रुपये | ए) लागत का 100 प्रतिशत<br>बी) लागत का 50 प्रतिशत |
| | बी) प्रौद्योगिकी प्रमाणन | ए) आईसीएआर (सीपीसीआरआई)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य बागवानी विभाग/कृषि/सार्वजनिक क्षेत्रों से<br>संबंधित इकाइयां/पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के लिए 50 लाख रुपये/ परियोजना<br>बी) व्यक्तियों/किसान समूहों/एनजीओ और निजी कंपनियों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये | ए) लागत का 100 प्रतिशत<br>बी) लागत का 50 प्रतिशत |
| | सी) प्रौद्योगिकी अभिग्रहण | ए) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण लागत का 25 प्रतिशत<br>बी) किसानों के समूहों/एनजीओ/ अन्य संगठनों के लिए लागत का 25 प्रतिशत | लागत का 25 प्रतिशत |
| **बी.2** | **उत्पाद विविधीकरण एवं प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का अभिग्रहण एवं विकास** | | |
| | ए) प्रौद्योगिकी विकास | ए) सभी सरकारी संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के लिए 75 लाख<br>बी) एनजीओ, व्यक्तिगत उद्यमियों एवं अन्य अनुसंधान संगठनों के लिए 35 लाख रुपये। | ए) लागत का 100 प्रतिशत<br>बी) लागत का 75 प्रतिशत |
| | बी) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन | ए) आईसीएआर (सीपीसीआरआई)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य बागवानी विभाग/कृषि/सार्वजनिक क्षेत्रों से<br>संबंधित इकाइयां/पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के लिए 25 लाख रुपये/ परियोजना<br>बी) व्यक्तियों/किसान समूहों/एनजीओ और निजी कंपनियों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये | ए) सभी सरकारी संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को लागत का 100 प्रतिशत<br>बी) एनजीओ, व्यक्तिगत उद्यमियों एवं अन्य संगठनों को लागत का 50 प्रतिशत |

# अनुलग्नक– VIII

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सी) प्रौद्योगिकी अभिग्रहण | ए) प्रौद्योगिकी अभिग्रहण की लागत का 25 प्रतिशत<br>बी) एनजीओ, कृषक समूहों और अन्य संगठनों के लिए लागत का 25 प्रतिशत | ए) बैक एंडेड ऋण पूंजी सब्सिडी के रुप में लागत का 25 प्रतिशत तक<br>बी) एससी/एसटी महिला किसानों के लिए परियोजना लागत का 33.3 प्रतिशत<br>सी) अंडमान एवं निकोबार द्वीप एवं लक्ष्यद्वीप में उच्च मूल्यवान कृषि के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत |
| **बी.3** | **बाजार अनुसंधान एवं संस्थापन** | | |
| | ए) बाजार अनुसंधान | ए) सरकारी एजेंसियों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए 25 लाख रुपये<br>बी) व्यक्तियों, एनजीओ और अन्य संगठनों के लिए 12.50 लाख रुपये | ए) परियोजना लागत का 100 प्रतिशत<br>बी) परियोजना लागत का 50 प्रतिशत |
| | बी) बाजार संस्थापन | ए) सरकारी एजेंसियों एवं सहकारी संस्थाओं को 25 लाख रुपये<br>बी) सीपीएस (एफपीओ) परिसंघ को 6 लाख रुपये<br>सी) एनजीओ और निजी संस्थाओं को 15 लाख रुपये | ए) परियोजना लागत का 100 प्रतिशत<br>बी) परियोजना लागत का 50 प्रतिशत |
| **बी.4** | **आकस्मिक मांग एवं प्रौद्योगिकी समर्थन बाह्य मूल्यांकन** | आवश्यकतानुसार | टीएमओसी मानक के मुताबिक |
| **सी** | **नारियल के पुराने बागान का नवीकरण एवं पुनर्रोपण** | | |
| | ए) पुराने/जराग्रस्त पेड़ों को काटना एवं हटाना | 32,000 रुपये/हेक्टेयर | 1000 रुपये/पेड़, 32 पेड़/हेक्टेयर |
| | बी) पुनर्रोपण के लिए सहायता | 80 रुपये/पौधा | लागत का 50 प्रतिशत और अधिकतम 4000 रुपये/हेक्टेयर |
| | सी) समेकित प्रबंधन उपायों के जरिए मौजूदा नारियल के बागान में सुधार | 70,000 रुपये/हेक्टेयर | लागत का 25 प्रतिशत दो समान किश्तों में |
| **डी** | **नारियल पेड़ की बीमा योजना** | 4–15 आयु वर्ग के ताड़ के एक पेड़ के लिए 4.69 रुपये और 16–60 आयु वर्ग के ताड़ के पेड़ के लिए प्रति पेड़ 6.35 रुपये, 10.30 प्रतिशत की दर से सेवाकर मिलाकर | बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत, जिसमें से सीडीबी द्वारा 50 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत प्रीमियम होगा। |
| **ई** | **श्रृंगी सुरक्षा बीमा योजना** | परियोजना आधारित | प्रीमियम लागत का 75 प्रतिशत |
| **एफ** | **छत के नीचे अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना** | परियोजना आधारित | सीडीबी को लागत का 100 प्रतिशत |

** लागत मानदण्ड से मतलब लागत के उस उच्च सीमा से है जिसके आधार पर सब्सिडी का आकलन किया जाता है। 05*

*# पहाड़ी क्षेत्रों में वह क्षेत्र शामिल हैं जो योजना आयोग के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत आच्छादित हैं। अधिसूचित क्षेत्र में वह क्षेत्र शामिल हैं जो योजना आयोग और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।*

नोट

बागवानी मिशन
Horticulture Mission

# एकीकृत बागवानी विकास मिशन

संचालन संबंधी दिशा-निर्देश

अप्रैल, 2014

सत्यमेव जयते

**बागवानी प्रभाग**

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली

www.midh.gov.in